महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़

Email- registrar.msduniversity.azamgarh@gmail.com

Website: www.msdsu.ac.in

पत्रांक-4588/ कु0का0 /2024 दिनांक-03/10/2024

सेवा में,

समस्त संयोजकगण (अध्ययन परिषद्)
(कला, विज्ञान व वाणिज्य संकाय)
महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़।

विषयःशैक्षणिक सत्र् 2024-25 से तीन वर्षीय स्नातक, चार वर्षीय स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संशोधनों के साथ बोर्ड आफ स्टडीज कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उ0प्र0 शासन (उच्च शिक्षा अनुभाग-3) के आदेश संख्या-2090/सत्तर-3-2024-09(01)/2023(L4), दिनांक 02 सितम्बर, 2024 के क्रम में संकायध्यक्षों एवं प्राचार्यगण की इस निमित्त बैठक दिनांक 01.10.2024 में लिए गए निर्णय के आलोक में दिनांक 03.10.2024 से 10.10.2024 तक कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के समस्त विषयों के अध्ययन परिषदों की बैठक (आफॅलाइन/आनलाइन) शैक्षणिक सत्र् 2024-25 से तीन वर्षीय स्नातक, चार वर्षीय स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में उक्त शासनादेश के क्रम में यथाप्रस्तावित संशोधन किये जाने हेतु आहूत की जानी है। अध्ययन परिषद की उक्त बैठक का बिन्दुवार एजेन्डा निम्नलिखित है।

1. तीन वर्षीय स्नातक (एकेडमिक वर्ष एक से तीन वर्ष तक) मेजर विषयों के पाठ्यक्रम में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं है। केवल सम्बन्धित विषयों के दो-दो माइनर प्रश्नपत्र (प्रत्येक 6-6 क्रेडिट के) प्रथम व द्वितीय एकेडमिक वर्ष के लिए निर्मित किये जायेंगे। साथ-ही, माइनर कोर्स के लिए सरकार/यू0 जी0 सी0के मान्यता प्राप्त ऑनलाइन पोर्टल जैसे SWAYAM-NPTEL से 6 क्रेडिट के कोर्स की मैपिंग करते हुए माइनर प्रश्न पत्र के लिए संस्तुत करेंगी।
2. स्नातक के पहले दो वर्ष में (प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर) में कुल चार सह-पाठ्यक्रम (दो-दो क्रेडिट के) संचालित होंगे जिसमें चतुर्थ सेमेस्टर के चौथा सह-पाठ्यक्रम (co-curricular) **"Social Responsibility & Community Engagement"** अथवा **"Indian Language"** होगा। इसके लिए समाजशास्त्र विषय की अध्ययन परिषद् को यू0जी0सी के दिशानिर्देशों के क्रम में **"Social Responsibility& Community Engagement"** का एक सह पाठ्यक्रम (दो क्रेडिट) निर्मित करना प्रस्तावित है, जबकि भाषा से सम्बन्धित सह-पाठ्यक्रम (दो क्रेडिट के एक-एक प्रश्नपत्र) को हिन्दी, संस्कृत व उर्दू विषय की अध्ययन परिषद् निर्मित करेंगे।
3. उक्त शासनादेश के क्रम में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में आंशिक परिवर्तन प्रस्तावित है। स्नाताकोत्तर प्रथम वर्ष का ही पाठ्यक्रम चार वर्षीय स्नातक (मानद्) के चौथे वर्ष का पाठ्यक्रम होगा। चार वर्षीय स्नातक (मानद शोध सहित) के लिए प्राविधान प्रस्तावित है। इस आलोक में एक विस्तृत नियमावली/रूपरेखा तैयार की गई है। जिसके क्रम में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में परिवर्तन प्रस्तावित है।
4. बी0सी0ए0 पाठ्यक्रम/विषय की अध्ययन परिषद् को शैक्षणिक सत्र् 2024-25 से बी0सी0ए0 पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के आलोक में निर्मित करना प्रस्तावित है।

अतः सम्बन्धित अध्ययन परिषद् के संयोजकगण से निवेदन है कि प्रकरण की महत्ता के दृष्टिगत विशेष प्रयास से उक्तानुसार पाठ्यक्रमों को संशोधित/निर्मित करने का कष्ट करें। जिससे 14.10.2024 को प्रस्तावित विद्या परिषद **(Academic Council)** की बैठक में पाठ्यक्रमों को अनुमोदनार्थ रखा जा सके।

संलग्नकः

1. शासनादेशः दिनांक 02.09.2024
2. नियमावलीः 2024-2025

भवदीय
03.10.24
(विशेश्वर प्रसाद)
कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषितः-

01. निजी सचिव, कुलपति को, मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
02. समस्त संकायाध्यक्ष।
03. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 क्रियान्वयन समिति के सदस्यगण।

कुलसचिव

राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 आधारित

Choice Based Credit System (C.B.C.S.)

[नियमावली: 2024–25]

3 YEARS UG PROGRAMME

3 YEARS UG (HONS.) PROGRAMME

4 YEARS UG (HONS.) PROGRAMME

4 YEARS UG (HONS. WITH RESEARCH) PROGRAMME

AND

P.G. PROGRAMME

[*EFFECTIVE: 2024-25 ONWARDS*]

महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़

Choice Based Credit System (C.B.C.S.)

(उच्च–शिक्षा एकेडमिक वर्ष I से V तक)

1. सी0 बी0 सी0 एस0 (Choice Based Credit System) की यह नियमावली शैक्षणिक सत्र 2024–25 से प्रभावी होगी [***शासनादेश संख्या – 2090/सत्तर–3–2024–09(01)/2023(L4) दिनांक 02.09.2024***]।

2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 आधारित यह सी0 वी0 सी0 एस0 **भाषा संकाय; कला, मानविकी व सामाजिक विज्ञान संकाय; वाणिज्य; निष्पादन कला (Performing arts) संकाय,** और **प्रबन्धन (बी0बी0ए0) संकाय** के विभिन्न पाठ्यक्रमों /विषयों के लिए प्रवर्तनीय है। कृषि संकाय के स्नातक पाठ्यक्रम (बी0 एससी0–कृषि) के लिए समान न्यूनतम पाठ्यक्रम (Common Minimum Syllabus) को ही अंगीकृत किया गया है, जबकि इसके संचालन की शेष व्यवस्थाएं ICAR /सक्षम नियामक निकाय के अनुरूप होगी।

3. सी0 बी0 सी0 एस0 के अन्तर्गत अच्छादित विषयों के पाठ्यक्रम उ0 प्र0 शासन स्तर पर गठित उच्चस्तरीय समिति द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रम (उच्चशिक्षा वर्ष I से III तक) अंगीकृत है। जिसके विषय–वस्तु (Contents) में स्थानीय व क्षेत्रीय आवश्यकतानुरूप अधिकतम 30 प्रतिशत तक ही परिवर्तन अनुमन्य है। यह परिवर्तन समय–समय पर 'अध्ययन परिषद्' द्वारा सकारण इस प्रकार प्रस्तावित किया जा सकता है कि समान न्यूनतम पाठ्यक्रम की संरचना जैसे क्रेडिट भार, प्रश्नपत्र की प्रकृति (सैद्धान्तिक/प्रायोगिक) टाइटल, निर्दिष्ट सेमेस्टर में प्रश्नपत्रों का आवंटन आदि अक्षुण रहे। शेष वर्ष IV से V तक का पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के आलोक में तैयार किया गया है, जिसे समय–समय पर सक्षम निकाय के अनुमोदनोपरांत संशोधित किया जाना अनुमन्य है।

3.1 विश्वविद्यालय के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति, **2020** से आच्छादित पाठ्यक्रमों / उपाधियों के विवरण निम्नलिखित है :

Academic Programme	Programme Pattern	Degree Nomenclature
3 Years U.G. Programme	U. G. with Multiple subjects	B. A.; B. Sc.; B. Com.; U. G. Certificate in respective faculty (after 1 year); U. G. Diploma (after 2 year)
3 Years U.G. (Hons.) Programme	U. G. with single subject (B.B.A.; B. C. A. etc.)	U. G. (Hons.), *i.e.*, B.B.A. (Hons.); B. C. A. (Hons.); Certificate in respective faculty (after 1 year); U. G. Diploma (after 2 year)
4 Years U.G. (Hons.) Programme	U. G. with single subject or Multiple subjects upto 3 years and single subject in next 1 year	B. A. (Hons.); B. Sc. (Hons); B. Com. (Hons.); P. G. Diploma in faculty such as P. G. Diploma in Science, P. G. Diploma in Arts, P. G. Diploma in Commerce
4 Years U.G. (Hons. with Research) Programme	U. G. with single subject or Multiple subjects upto 3 years and single subject with research project in next 1 year	B. A. (Hons. with Research); B. Sc. (Hons. with Research); B. Com. (Hons. with Research)
P. G. Programme	U. G. with single subject or Multiple subjects upto 3 years and single subject in next 2 years	M. Sc.; M. A.; M. Com. etc.

4. उच्चशिक्षा (एकेडमिक वर्ष I से V तक) के विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रमाणन मानदण्ड **(Certification Criteria)** :

(स्नातक बहु–विषयक में प्रवेश लेने के उपरांत शैक्षणिक पाथ)

संकाय	पाठ्यक्रम की प्रकृति	प्रमाणन मानदण्ड	प्रमाणपत्र / उपाधि
कला, मानविकी व सामाजिक विज्ञान संकाय **विज्ञान संकाय** **वाणिज्य संकाय**	स्नातक बहु–विषयक (संकाय के दो मुख्य विषय)	• **प्रथम एकेडमिक वर्ष** (प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर) पूर्ण होने पर तथा बाहर (Exit) होने की दशा में। • न्यूनतम आवश्यक क्रेडिट – 40 *नोट–भविष्य में आगे की पढ़ाई के लिए लेट्रल इण्ट्री नियमानमुसार अनुमन्य।*	Certificate in faculty
		• **द्वितीय एकेडमिक वर्ष** (तृतीय व चतुर्थ सेमेस्टर) पूर्ण होने पर तथा बाहर (Exit) होने की दशा में। • न्यूनतम आवश्यक क्रेडिट = 40 + 40 = 80 *नोट– भविष्य में आगे की पढ़ाई के लिए लेट्रल इण्ट्री नियमानुसार अनुमन्य।*	Diploma in faculty
		• **तृतीय एकेडमिक वर्ष** (पंचम व षष्ट सेमेस्टर) पूर्ण होने पर। • न्यूनतम आवश्यक क्रेडिट =80+ 40 = 120	Graduation Degree
	स्नातक बहु–विषयक के दो मुख्य विषय में से **कोई एक विषय** जिसे पहले तीन अकादमिक वर्ष में पढ़ा गया हो	**चतुर्थ एकेडमिक वर्ष** (सप्तम व अष्टम सेमेस्टर): न्यूनतम आवश्यक क्रेडिट =120+ 40(1st year of PG only course work or without research project) = 160	4 YEAR UG DEGREE (Hons.) /P.G. 1st Year
		Students who secure 75% marks in first 6 semesters of UG AND न्यूनतम आवश्यक क्रेडिट =120+ 32(1st year of PG course work+ 8 credits of research project) = 160	4 YEAR UG DEGREE (Hons. with research)/ P.G. 1st Year
	चतुर्थ ऐकडेमिक वर्ष में चयनित एकल विषय	• **पंचम एकेडमिक वर्ष** (नवम व दशम सेमेस्टर) पूर्ण होने पर। • न्यूनतम आवश्यक क्रेडिट =160+ 40 (PG 2nd year) = 200	Masters in faculty

*टीप : **(1)** नया विषय चयन करने की दशा में अथवा उस विषय का चयन करने पर जिसे विद्यार्थी पहले तीन वर्षों में न पढ़ा हो, विद्यार्थी का प्रवेश स्नातकोत्तर की उपाधि के लिए प्रवेशित माना जायेगा अर्थात् उसे चार वर्षीय उपाधि नहीं दी जाएगी)*

***(2)** प्रारम्भ में विद्यार्थी का प्रवेश तीन वर्ष की स्नातक डिग्री हेतु होगा। चौथे वर्ष में विद्यार्थी चार वर्ष की स्नातक (मानद) या स्नातक (मानद शोध सहित) या पी0 जी0 डिग्री में से किसी एक का चयन कर सकते हैं।*

स्नातक एकल विषय में प्रवेश लेने के उपरांत शैक्षणिक पाथ (B.B.A. & B. C. A.)

संकाय	पाठ्यक्रम की प्रकृति	प्रमाणन मानदण्ड		प्रमाणपत्र/उपाधि
कला, मानविकी व सामाजिक विज्ञान संकाय **विज्ञान संकाय** **वाणिज्य संकाय** **प्रबंधन संकाय**	स्नातक एकल विषय (संकाय का एक मुख्य विषय)	• **प्रथम एकेडमिक वर्ष** (प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर) पूर्ण होने पर तथा बाहर (Exit) होने की दशा में। • न्यूनतम आवश्यक क्रेडिट – 40 ***नोट–भविष्य में आगे की पढ़ाई के लिए लेट्रल इण्ट्री नियमानुसार अनुमन्य।***		Certificate in faculty
		• **द्वितीय एकेडमिक वर्ष** (तृतीय व चतुर्थ सेमेस्टर) पूर्ण होने पर तथा बाहर (Exit) होने की दशा में। • न्यूनतम आवश्यक क्रेडिट = 40 + 40 = 80 ***नोट– भविष्य में आगे की पढ़ाई के लिए लेट्रल इण्ट्री नियमानुसार अनुमन्य।***		Diploma in faculty
		• **तृतीय एकेडमिक वर्ष** (पंचम व षष्ट सेमेस्टर) पूर्ण होने पर।	न्यूनतम आवश्यक क्रेडिट =80+ 40 = 120	Single subject Plain UG Degree
			न्यूनतम आवश्यक क्रेडिट =80+ 50 = 130	Single subject Honors UG Degree
	एकल मुख्य विषय, जिसे पहले तीन ऐकडेमिक वर्षों में पढ़ा गया है	**चतुर्थ एकेडमिक वर्ष** (सप्तम व अष्टम सेमेस्टर) पूर्ण होने पर।	न्यूनतम आवश्यक क्रेडिट =120+ 40(1st year of PG only course work or without research project) = 160	4 YEAR UG DEGREE (Hons.) /P.G. 1st Year/P.G. Diploma
			Students who secure 75% marks in first 6 semesters of UG AND न्यूनतम आवश्यक क्रेडिट =120+ 32(1st year of PG course work+ 8 credits of research project) = 160	4 YEAR UG DEGREE (Hons. with research)/ P.G. 1st Year
	चतुर्थ ऐकडेमिक वर्ष में चयनित एकल विषय	• **पंचम एकेडमिक वर्ष** (नवम व दशम सेमेस्टर) पूर्ण होने पर। • न्यूनतम आवश्यक क्रेडिट =160+ 40 (PG 2nd year) = 200		Masters in faculty

5. प्रवेश पात्रता व मानदण्ड

क्रमांक	संकाय	विषय	पूर्व – आवश्यकताएं **(Prerequistes)**	एकेडेमिक अंतराल
1	कला, मानविकी व सामाजिक विज्ञान संकाय	हिन्दी	इंटरमीडिएट (10+2)	अर्हकारी योग्यता धारण वर्ष से अधिकतम सात वर्ष तक का अकेडमिक अंतराल अनुमन्य।
		संस्कृत		
		अंग्रेजी		
		उर्दू		
		अरबी		
		फारसी		
		मध्यकालिन इतिहास		
		प्राचीन इतिहास		
		समाजशास्त्र		
		राजनीतिशास्त्र		
		अर्थशास्त्र		
		दर्शनशास्त्र		
		शिक्षाशास्त्र		
		रक्षा एवं सामरिक रणनीति अध्ययन		
		मनोविज्ञान		
		भूगोल		
		ललितकला–चित्रकला		
		संगीत (गायन, तबला, सितार)		
		मानवशास्त्र		
		पत्रकारिता एवं जन संचार		
		गृह विज्ञान		
		शारीरिक शिक्षा		

2	विज्ञान संकाय	गणित	गणित विषय के साथ इंटरमीडिएट (10+2)	
		रसायन विज्ञान	रसायन विज्ञान विषय के साथ इंटरमीडिएट (10+2)	
		भौतिकी	भौतिकी विषय के साथ इंटरमीडिएट (10+2)	
		प्राणि विज्ञान	जीव विज्ञान / लाइफ साइंस विषय के साथ इंटरमीडिएट (10+2)	
		वनस्पति विज्ञान	जीव विज्ञान / लाइफ साइंस विषय के साथ इंटरमीडिएट(10+2)	
		बायोटेक्नोलॉजी	विज्ञान / लाइफ साइंस विषय के साथ इंटरमीडिएट(10+2)	
		औद्योगिक रसायन	रसायन विज्ञान विषय के साथ इंटरमीडिएट	
		भूगर्भ विज्ञान	विज्ञान विषय के साथ इंटरमीडिएट(10+2)	
		माइक्रोबायोलॉजी	जीव विज्ञान / लाइफ साइंस विषय के साथ इंटरमीडिएट(10+2)	
		कम्प्यूटर साइंस	गणित/ कम्प्यूटर साइंस विषय के साथ इंटरमीडिएट(10+2)	
		सांख्यिकी	गणित/सांख्यिकी विषय के साथ इंटरमीडिएट (10+2)	
		जैव रसायन	रसायन विज्ञान विषय के साथ इंटरमीडिएट (10+2)	
		कम्प्यूटर अनुप्रयोग	गणित/ कम्प्यूटर साइंस /सांख्यिकी विषय के साथ इंटरमीडिएट (10+2)	
		पर्यावरण विज्ञान	विज्ञान / लाइफ साइंस विषय के साथ इंटरमीडिएट(10+2)	
3	वाणिज्य संकाय	वाणिज्य	वाणिज्य /विज्ञान /गणित /अर्थशास्त्र विषय के साथ इंटरमीडिएट (10+2)**	
4	प्रबंधन (केवल बी0 बी0 ए0) संकाय	बी0 बी0 ए0	इंटरमीडिएट (10+2)	

*** योग्यताधारी सभी अभ्यर्थियों को बी0 कॉम0 पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश देने के पश्चात भी सीटें रिक्त होने की स्थिति में ऐसे सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा सकता है, जो इंटरमीडिएट की परीक्षा कला वर्ग से उत्तीर्ण हों, परन्तु वे हाई स्कूल की परीक्षा गणित विषय से उत्तीर्ण किये हों।*

6. विषय /प्रश्नपत्रों की प्रकृति व रूपरेखा (एकेडमिक वर्ष I से III तक)

(a) **मुख्य विषय** (Major Subject) – बिन्दु 5 में उल्लिखित विषय सम्बन्धित संकाय के मुख्य विषय है। विभिन्न पाठ्यक्रमों में इनके प्रश्नपत्र Major Paper है। मेजर प्रश्नपत्र केवल सैद्धान्तिक होने पर एकल 6 क्रेडिट (6+0) अथवा 3+3 क्रेडिट **(BBA, BCA)**, जबकि सैद्धान्तिक व प्रायोगिक होने पर दो प्रश्नपत्रों के रूप में क्रमशः 4 क्रेडिट व 2 क्रेडिट, संगीत विषय (2 क्रेडिट सैद्धांतिक व 4 क्रेडिट प्रायोगिक), के है।

b) **गौण–प्रश्नपत्र (Minor Paper)** – संकायों के मुख्य विषयों से सम्बन्धित प्रश्नपत्र, जो माइनर प्रश्नपत्र के रूप में चयन करने हेतु पृथक से उपलब्ध है, माइनर प्रश्नपत्र है। साथ–ही, NCC को भी शासनादेश संख्या 1815/सत्तर–3–2021–16(26)/2011, दिनांक 9.8.2021 के क्रम में माइनर प्रश्नपत्र के रूप में चयनित किया जा सकता है। माइनर प्रश्नपत्र 6 क्रेडिट के केवल सैद्धान्तिक प्रश्नपत्र है। **माइनर प्रश्नपत्र अनिवार्य रूप से अन्य संकाय के होगें**। इस आशय से **भाषा**; **कला, मानविकी, सामाजिक विज्ञान** तथा **निष्पादन कला** अलग अलग संकाय माने जायेंगे।

c) **सह–पाठ्यक्रम प्रश्नपत्र (Co-Curricular)** – एकेडमिक वर्ष I से II तक प्रत्येक सेमेस्टर (पहले से चौथे सेमेस्टर तक) में एक–एक सह–पाठ्यक्रम, प्रत्येक 2-2 क्रेडिट तथा गैर–प्रायोगिक, जिनका चयन अनिवार्यः निर्दिष्ट सेमेस्टर में ही किया जाना है, निम्नवत है :

<table>
<tr><th colspan="2">कोड</th><th>सह–पाठ्यक्रम (Co-Curricular) का नाम</th><th>क्रेडिट</th><th>निर्दिष्ट सेमेस्टर</th></tr>
<tr><td colspan="2">Z020201T</td><td>First Aid and Basic Health</td><td>2(2+0)</td><td>I</td></tr>
<tr><td colspan="2">Z030301T</td><td>Human Values and Environment Studies</td><td>2(2+0)</td><td>II</td></tr>
<tr><td colspan="2">Z040401T</td><td>Physical Education and Yoga</td><td>2(2+0)</td><td>III</td></tr>
<tr><td>Z050401T</td><td rowspan="2">Only one</td><td>Social Responsibility and Community Engagement

(For those who has opted language(s) as major subject or minor course)</td><td rowspan="2">2(2+0)</td><td rowspan="2">IV</td></tr>
<tr><td>Z060401T</td><td>Indian/regional/Local languages

(For those who has not opted language(s) as major subject or minor course)</td></tr>
</table>

(d) **वोकेशनल कोर्सेज/कौशल विकास पाठ्यक्रम (Vocational/Skill development courses)** – रोजगार परक शिक्षा के क्रम में विद्यार्थी को एकेडमिक वर्ष I के प्रत्येक सेमेस्टर (प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर) तथा एकेडमिक वर्ष II के तृतीय सेमेस्टर अर्थात् स्नातक के प्रथम तीन सेमेस्टर में कुल तीन कौशल विकास पाठ्यक्रम अनिवार्य है। वोकेशनल /कौशल विकास पाठ्यक्रम शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा शासनादेश संख्या 1969/सत्तर–3–2021, दिनांक 18.8.2021 के आलोक में निर्मित तथा विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम दिये गये दिशा निर्देश के अन्तर्गत संचालित की जाएगी। वोकेशनल/कौशल विकास पाठ्यक्रम प्रत्येक 3 क्रेडिट (1 क्रेडिट सैद्धान्तिक तथा 2 क्रेडिट कौशल परीक्षण/प्रायोगिक) का होगा। विद्यार्थी अपने महाविद्यालय/शैक्षणिक संस्था द्वारा अमुक सेमेस्टर में यथासंचालित वोकेशनल/कौशल विकास पाठ्यक्रम का चयन कर सकते है।

यदि विद्यार्थी यू०जी०सी०/PMKVY 4.0 / केन्द्र/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था से तीन या उससे अधिक क्रेडिट का कोई ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन कौशल विकास कोर्स करता है. तो उसे उतने ही क्रेडिट प्रदान कर दिए जायेंगे। स्नातक के लिए कुल 9 क्रेडिट अर्जित करना आवश्यक है। विद्यार्थी अधिकतम् 9 क्रेडिट (एक साथ/अलग–अलग) को कम अथवा अधिक समय में पूरे कर सकते हैं।

[स्पष्टीकरण : वोकेशनल/कौशल विकास पाठ्यक्रम दो प्रकार का हो सकता है : पहला, Individual nature (वे पाठ्यक्रम जो एक ही सेमेस्टर पूर्ण हो) तथा दूसरा, Progressive nature (एक ही पाठ्यक्रम जिसकी विशेषज्ञता प्रत्येक अगले सेमेस्टर के साथ बढ़ती जायेगी, परन्तु किसी भी सेमेस्टर में छोड़ने पर वह पूर्ण हो सके]

e) **शोध परियोजना (Research project) –** विद्यार्थी विभिन्न उपाधियों के लिए निम्नवत शोध परियोजना का चयन कर सकते हैं :

प्रस्तावित अवधि	उपाधि	क्रेडिट	विवरण
स्नातक **द्वितीय वर्ष** (अर्थात् **चतुर्थ सेमेस्टर) के उपरांत ग्रीष्मावकाश** के दौरान	3 Years UG/ 3 Years UG (Hons.)	3	• विद्यार्थी अपने द्वारा चयनित संकाय के दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय से संबंधित तीन क्रेडिट की एक शोध परियोजना करेगा। ग्रीष्मावकाश में पूर्ण न कर पाने की स्थिति में यह शोध परियोजना तृतीय वर्ष के पंचम सेमेस्टर में भी की जा सकती है परन्तु उसे द्वितीय वर्ष में उत्तीर्ण तभी माना जायेगा जब उसके द्वारा उक्त शोध परियोजना पूर्ण कर ली जायेगी।
चतुर्थ वर्ष (अर्थात् **सप्तम** एवं **अष्टम** सेमेस्टर में)	4 Years UG with research	4 - 4	• केवल स्नातक शोध सहित पाठ्यक्रम तथा Single subject UG Hons. के लिए अर्ह विद्यार्थियों को चतुर्थ वर्ष (सप्तम व अष्टम सेमेस्टर) में एक–एक शोध परियोजना

	Single subject UG Hons.	5 - 5	तत्संगत सेमेस्टर के एक सैद्धांतिक (वैकल्पिक) प्रश्न पत्र के स्थान पर करना अनिवार्य है। • 4 वर्षीय स्नातक/Single subject plain UG और स्नातकोत्तर उपाधि के लिए नामांकित विद्यार्थियों को चतुर्थ वर्ष अर्थात् स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में शोध परियोजना करने की अनुमति नहीं है।
पंचम ऐकडेमिक वर्ष /पी0 जी0 द्वितीय वर्ष (अर्थात् **नवम** एवं **दशम** सेमेस्टर)	P. G. Programme	4 - 4	• स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष (नवम एवं दशम सेमेस्टर) में एक – एक शोध परियोजना करना अनिवार्य है।

- शोध परियोजना Interdisciplinary/multi-disciplinary व industrial Training, Internship, Survey Work इत्यादि के रूप में भी हो सकती है।
- शोध परियोजना शिक्षक सुपरवाईजर के निर्देशन में की जायेगी तथा एक अन्य सह–सुपरवाईजर किसी उद्योग/कम्पनी/तकनीकी संस्थान/शोध संस्थान से लिया जा सकता है।
- विद्यार्थी शोध परियोजना का प्रबंध (Report/Dissertation) की एक प्रति मूल्यांकन हेतु महाविद्यालय मे जमा करेगा, जिसका मूल्यांकन निम्नवत संपन्न होगा :

प्रस्तावित अवधि	**उपाधि**	**अंक विवरण**	**मूल्यांकन पद्धति**
स्नातक **द्वितीय वर्ष** (अर्थात् **चतुर्थ सेमेस्टर) के उपरांत ग्रीष्मावकाश** के दौरान	3 Years UG/ 3 Years UG (Hons.)	100	• केवल आन्तरिक परीक्षक (सम्बन्धित शोध–सुपरवाइजर) द्वारा इस शर्त के साथ कि 85 प्रतिशत से अधिक अंक देने की स्थिति में विश्वविद्यालय इस निमित्त गठित परीक्षक मंडल द्वारा पुनः परीक्षण कराएगा।
चतुर्थ वर्ष (अर्थात् **सप्तम** एवं **अष्टम** सेमेस्टर में)	4 Years UG with research/ Single subject UG Hons.	100 (75 +25*)	• 4 Years UG with research तथा स्नातकोत्तर कार्यक्रम की शोध परियोजनाओं का मूल्यॉकन आन्तरिक परीक्षक (सम्बन्धित शोध–सुपरवाइजर) एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रुप से 100 (75 शोध प्रबंध +25 शोध पत्र) अंकों में से किया जायेगा। • *विद्यार्थी अपनी इस शोध परियोजना में से पेटेन्ट प्रकाशन अथवा शोध पत्र (UGC & CARE listed) अथवा बुक चैप्टर (ISBN) प्रकाशित करवायेगा। 25 अंक पेटेन्ट अथवा शोध पत्र (UGC & CARE listed) अथवा बुक चैप्टर (ISBN) पर ही देय होंगे। पेटेन्ट अथवा शोध पत्र (UGC&CARE listed) अथवा बुक चैप्टर (ISBN) न होने पर प्राप्तांक अधिकतम् 75 अंक ही देय होंगे। पूर्णांक अधिकतम 100 ही होंगे। • **दो** राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार / संगोष्ठी में पेपर प्रजेन्ट करने पर भी 25 अंक देय होंगे। पेटेन्ट/शोध पत्र/बुक चैप्टर का प्रकाशन सुपरवाईजर तथा कई विद्यार्थियों द्वारा संयुक्त रुप से कराने पर भी मान्य होगा।
पंचम ऐकडेमिक वर्ष /पी0 जी0 द्वितीय वर्ष (अर्थात् **नवम** एवं **दशम** सेमेस्टर)	P. G. Programme		

- **शोध परियोजना के सम्बन्ध में निर्देश**

1. शोध पर्वेक्षक द्वारा विद्यार्थियों (UG, UG with research, PG) को सम्बंधित विषय के समसामयिक व शोध उन्मुख टॉपिक (topic) के चयन हेतु प्रेरित किया जायेगा। **परन्तु स्नातक (UG) के समान न्यूनतम पाठ्यक्रम में पंचम एवं षष्ठ सेमेस्टर में शोध परियोजना की रूपरेखा उल्लिखित है, अतः पंचम एवं षष्ठ सेमेस्टर में उल्लिखित शोध परियोजना के पाठ्यक्रम में से किसी एक अथवा दोनों सेमेस्टर के संयुक्त पाठ्यक्रमों के क्रम में एक शोध परियोजना का चयन चतुर्थ सेमेस्टर के उपरांत ग्रीष्मावकाश में किया जा सकता है।**
2. Industrial Training, Internship, Survey Work इत्यादि के रूप में शोध परियोजनाओं का चयन करने के लिए शैक्षणिक संस्थाएं स्वतंत्र हैं।
3. शोध प्रबन्ध (Report/Disertation) में चयनित टॉपिक पर किये गए अध्ययन का विवरण (सांकेतिक) निम्नवत् होगा :

   (1) समस्या की पहचान (Identification of Problem)

   (2) साहित्य समीक्षा (Reviews of literature)

   (3) शोध प्रविधि (Research Methodology/Materials and Methods)

   (4) जाँच – परिणाम (Findings)

   (5) निष्कर्ष (Conclusion)
4. शोध परियोजनाओं के प्रतिवेदन /प्रबंध (Report / Dissertation) सुस्पष्ट हस्तलिखित या प्रिंटेड एक प्रति, जो शैक्षणिक संस्था की प्रति होगी, मूल्यांकन के लिए विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। विद्यार्थी स्वयं के लिए एक अन्य प्रति अलग से बना सकता है।

7. विषय/प्रश्नपत्र चयन

I – सेमेस्टर

(a) **मुख्य विषय (Major Subjects) –** विभिन्न संकायों के पाठ्यक्रमों हेतु सूचीबद्ध विषयों (बिन्दु संख्या – 5) में से पूर्व आवश्यकता (Prerequisite) के आधार पर **कुल दो मुख्य विषयों** का चयन किया जायेगा।

विज्ञान संकाय

(i) **इण्टरमीडिएट पी0 सी0 एम0 ग्रुप**

Major -I	Major-II	टिप्पणी
गणित रसायन विज्ञान भौतिकी औद्योगिक रसायन भूगर्भ विज्ञान संगणक (कम्प्यूटर) विज्ञान कम्प्यूटर अनुप्रयोग सांख्यिकी जैव रसायन पर्यावरण विज्ञान	गणित रसायन विज्ञान भौतिकी औद्योगिक रसायन भूगर्भ विज्ञान संगणक (कम्प्यूटर) विज्ञान कम्प्यूटर अनुप्रयोग सांख्यिकी जैव रसायन पर्यावरण विज्ञान	• रसायन विज्ञान, औद्योगिक रसायन व जैव रसायन में से किसी एक का चयन ही अनुमन्य। • मेजर-I व मेजर-II के रूप में गणित व भौतिकी में से कम–से–कम किसी एक विषय का चयन अनिवार्य।

(ii) **इण्टरमीडिएट पी0 सी0 बी0 ग्रुप**

Major -I	**Major-II**	**टिप्पणी**
रसायन विज्ञान भौतिकी प्राणि विज्ञान वनस्पति विज्ञान बायोटेक्नोलॉजी औद्योगिक रसायन माइक्रोबायोलॉजी जैव रसायन पर्यावरण विज्ञान भूगर्भ विज्ञान	रसायन विज्ञान भौतिकी प्राणि विज्ञान वनस्पति विज्ञान बायोटेक्नोलॉजी औद्योगिक रसायन माइक्रोबायोलॉजी जैव रसायन पर्यावरण विज्ञान भूगर्भ विज्ञान	• मेजर-I व मेजर-II के रूप में प्राणि विज्ञान व वनस्पति विज्ञान में से कम–से–कम किसी एक विषय का चयन अनिवार्य। • रसायन विज्ञान, औद्योगिक रसायन व जैव रसायन में से किसी एक का चयन ही अनुमन्य।

(iii) **भाषा; कला, मानविकी, सामाजिक विज्ञान तथा निष्पादन कला संकाय**

Major -I	Major-II
हिन्दी	हिन्दी
संस्कृत	संस्कृत
अंग्रेजी	अंग्रेजी
उर्दू	उर्दू
अरबी	अरबी
फारसी	फारसी
इतिहास	इतिहास
प्राचीन इतिहास	प्राचीन इतिहास
समाजशास्त्र	समाजशास्त्र
राजनीति शास्त्र	राजनीतिशास्त्र

अर्थशास्त्र दर्शनशास्त्र शिक्षाशास्त्र रक्षा एवं सामरिक रणनीति अध्ययन मनोविज्ञान भूगोल चित्रकला संगीत (गायन) संगीत (तबला) संगीत (सितार) पत्रकारिता एवं जन संचार गृह विज्ञान	अर्थशास्त्र दर्शनशास्त्र शिक्षाशास्त्र रक्षा एवं सामरिक रणनीति अध्ययन मनोविज्ञान भूगोल चित्रकला संगीत (गायन) संगीत (तबला) संगीत (सितार) पत्रकारिता एवं जन संचार गृह विज्ञान

(iv) **वाणिज्य संकाय**

Semester	Major -I	Major-II
I	Business Organization (6 credit)	Business Statistics (6 credit)

(iv) **प्रबंधन (बी0बी0ए0) संकाय**

Year	Sem.	Subject	Part	Paper Code	Paper Name	Credit
	I	Course/ paper-1	A	F010101T	Business Economics	3
			B		Basic Accounting	3
1	I	Course/ paper-2	A	F010102T	Business Statistics	3
			B		Principles of Management	3

प्रथम सेमेस्टर में मेजर विषयों के प्रश्नपत्रों का क्रेडिट भार

Major Subjects	Faculty of Arts, Science & commerce	BBA (Single Subject)	BCA (Single Subject)
Major–I	6 क्रेडिट (6+0 अथवा 4+2 अथवा 2+4 क्रेडिट)	Paper I: (3+3 क्रेडिट)	As per table 2
Major-II	6 क्रेडिट (6+0 अथवा 4+2 अथवा 2+4 क्रेडिट)	Paper II: (3+3 क्रेडिट)	
कुल क्रेडिट भार	**12 क्रेडिट**	**12 क्रेडिट**	**12 क्रेडिट**

(b) **माइनर प्रश्नपत्र का चयन –** विद्यार्थी को प्रथम सेमेस्टर में विभिन्न संकायों में सूचीवद्ध विषयों के एक माइनर प्रश्नपत्र, जो 6 क्रेडिट (6+0) का है, का चयन करना होगा। यदि विद्यार्थी प्रथम सेमेस्टर में कोई भी माइनर प्रश्नपत्र का चुनाव नहीं करता है तो उसे द्वितीय सेमेस्टर में अनिवार्यतः एक माइनर प्रश्नपत्र का चयन करना होगा। यदि विद्यार्थी द्वारा प्रथम सेमस्टर में ही माइनर प्रश्नपत्र का चयन किया जा चुका है तो द्वितीय सेमेस्टर में माइनर प्रश्नपत्र चयनित करने की आवश्यकता नहीं है।

माइनर प्रश्नपत्र चयन मानदंण्ड व परिवर्तन

1. माइनर प्रश्नपत्र के चयन के लिए किसी पूर्व आवश्यकता (Prerequsite) की आवश्यकता नही होगी अर्थात् विद्यार्थी अन्य किसी संकाय (other Faculty) से किसी भी विषय के माइनर प्रश्नपत्र का चयन कर सकता है।
2. विद्यार्थी माइनर प्रश्नपत्र को अनिवार्यतः अपने संकाय के अन्यथा किसी अन्य संकाय के विषय के माइनर प्रश्नपत्र को चयनित करना होगा। इस अलोक में भाषा संकाय; कला, मानविकी व सामाजिक विज्ञान संकाय; निष्पादन कला (Performing arts) संकाय अलग अलग संकाय माने जायेंगें।
3. विभिन्न विषयों के माइनर प्रश्नपत्र प्रथम या द्वितीय सेमेस्टर में उपलब्ध होगे, जिसे विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार पहले या दूसरे (विषम या सम) सेमेस्टर में चयनित कर सकता है।
4. शैक्षिक संस्थाए उपलब्ध संस्थाओं के आधार पर विभिन्न विषयों के माइनर प्रश्नपत्र के आवंटन की उच्चतम सीमा निर्धारित कर सकेगी।
5. यदि विद्यार्थी किसी माइनर प्रश्नपत्र में अनुत्तीर्ण हो जाता है अथवा अपनी रूचि के अनुरूप नही पाता है तो अगले वर्ष वह किसी अन्य माइनर प्रश्नपत्र का चयन कर सकता है।
6. विद्यार्थी द्वारा जो विषय मुख्य विषय के रूप में चयनित किया गया है, उसे माइनर विषय के रूप में चयनित नहीं किया जा सकता है।

(c) **सह पाठ्यक्रम प्रश्नपत्र (Co-curricular course)** बिन्दु 6 (c) में उल्लिखित सह पाठ्यक्रम, जो कि 2 क्रेडिट के है, में से प्रथम सेमेस्टर के लिए निर्दिष्ट सह पाठ्यक्रम **First Aid and Basic Health** अनिवार्यतः चयनित करना होगा।

(d) वोकेशनल कोर्स बिन्दु 6(d) में उल्लिखित वोकेशनल कोर्स की परिभाषा व व्यवस्था के अनुरूप प्रथम सेमेस्टर में एक वोकेशनल कोर्स (3 क्रेडिट) जो महाविद्यालयों द्वारा प्रथम सेमेस्टर निर्दिष्ट में किया गया है का चयन करना होगा।

प्रथम सेमेस्टर क्रेडिट भार

सांराश

Major	12 क्रेडिट
Minor	6 क्रेडिट
Co-Curricular	2 क्रेडिट
Vocational Course	3 क्रेडिट
कुल क्रेडिट	**23 क्रेडिट**
प्रथम सेमेस्टर में माइनर प्रश्नपत्र चयन न करने की दशा में	**12+2+3= 17 क्रेडिट**

II – सेमेस्टर

(a) मेजर विषय/प्रश्नपत्र

भाषा संकाय; कला, मानविकी व सामाजिक विज्ञान संकाय; निष्पादन कला (Performing arts) संकाय; विज्ञान संकाय के पाठ्यक्रमों के द्वितीय सेमेस्टर में भी प्रथम सेमेस्टर की ही भॉति कुल दो मुख्य विषयों के यथानिर्दिष्ट प्रश्नपत्र चयनित करने होगे।

द्वितीय सेमेस्टर में वाणिज्य संकाय के मुख्य विषय निम्नवत होंगे :

Semester	Major -I	Major-II
II	Business Management (6 credit)	(i) Financial Accounting (4 Credit) AND (ii) Computerized Accounting (Practical) (2Credit)

द्वितीय सेमेस्टर में प्रबंधन (बी0बी0ए0) संकाय के मुख्य विषय निम्नवत होंगे :

Year	Sem.	Subject	Part	Paper Code	Paper Name	Credit
1	II	Course/ paper-3	A	F010201T	Organizational Behavior	3
			B		Business Finance	3
	II	Course/ paper-4	A	F010202T	Human Resource Development	3
			B		Marketing Theory and Practices	3

Note: BCA programme will be developed as per table 2.

टिप्पणी : द्वितीय सेमेस्टर में मुख्य विषयों में परिवर्तन अनुमन्य नहीं हैं।

(b) **माइनर प्रश्नपत्र**

प्रथम सेमेस्टर की ही भॉति एक माइनर प्रश्नपत्र चयनित किया जायेगा, परन्तु यदि विद्यार्थी द्वारा प्रथम सेमस्टर में ही माइनर प्रश्नपत्र का चयन किया जा चुका है तो द्वितीय सेमेस्टर में माइनर प्रश्नपत्र चयनित करने की आवश्यकता नहीं है।

(c) **सह पाठ्यक्रम प्रश्नपत्र (Co-curricular course)** बिन्दु 6 (c) में उल्लिखित सह पाठ्यक्रम, जो कि 2 क्रेडिट के है, में से द्वितीय सेमेस्टर के लिए निर्दिष्ट सह पाठ्यक्रम ***Human Values and Environment Studies*** अनिवार्यतः चयनित करना होगा।

(d) **वोकेशनल कोर्स बिन्दु 6(d)** में उल्लिखित वोकेशनल कोर्स की परिभाषा व व्यवस्था के अनुरूप द्वितीय सेमेस्टर में एक वोकेशनल कोर्स (3 क्रेडिट), जो महाविद्यालयों द्वारा द्वितीय सेमेस्टर में निर्दिष्ट किया गया है, का चयन करना होगा।

द्वितीय सेमेस्टर में क्रेडिट भार

सांराश

Major	12 क्रेडिट
Minor	6 क्रेडिट
Co-Curricular	2 क्रेडिट
Vocational Course	3 क्रेडिट
कुल क्रेडिट	**23 क्रेडिट**
द्वितीय सेमेस्टर में माइनर प्रश्नपत्र चयन न करने की दशा में	**12+2+3=17 क्रेडिट**

<u>III – सेमेस्टर</u>

(a) मेजर विषय/प्रश्नपत्र

भाषा संकाय; कला, मानविकी व सामाजिक विज्ञान संकाय; निष्पादन कला (Performing arts) संकाय; विज्ञान संकाय के पाठ्यक्रमों के तृतीय सेमेस्टर में भी अकेडमिक वर्ष (प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर) की ही भॉति कुल दो मुख्य विषयों के यथानिर्दिष्ट प्रश्नपत्र चयनित करने होगे।

तृतीय सेमेस्टर में वाणिज्य संकाय के मुख्य विषय निम्नवत होंगे :

Semester	Major -I	Major-II
III	Company Law (6 credit)	Cost accounting (6 credit)

तृतीय सेमेस्टर में प्रबंधन (बी0बी0ए0) संकाय के मुख्य विषय निम्नवत होंगे :

Year	Sem.	Subject	Part	Paper Code	Paper Name	Credit
2	III	Course/ paper-5	A	F010301T	Management & Cost Accounting	3
			B		Business Law	3
	III	Course/ paper-6	A	F010302T	Production Management	3
			B		Business Policy	3

Note: BCA programme will be developed as per table 2.

टिप्पणी : तृतीय सेमेस्टर में मुख्य विषयों में परिवर्तन एक विषय से अनधिक इस प्रकार अनुमन्य है कि न्यूनतम दोनों मुख्य विषय विद्यार्थी के स्वयं के संकाय से संबंधित हो। इस निमित्त भाषा; कला, मानविकी व सामाजिक विज्ञान तथा निष्पादन कला संकाय के विषय एक ही संकाय के रूप में विद्यार्थी के स्वयं के संकाय माने जाएंगे। साथ–ही, बिंदु–7 में उल्लिखित टिप्पणियों के अध्यधीन विषय संयोजन की बाध्यताओं का अनुलंघन हो। कॉमर्स /बी. बी. ए./बी. सी. ए. स्नातक के विद्यार्थी मुख्य विषयों में परिवर्तन नहीं कर सकते है।

(b) **माइनर प्रश्नपत्र**

प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर की ही भॉति तृतीय सेमेस्टर में एक अन्य माइनर प्रश्नपत्र विद्यार्थी द्वारा चयनित किया जायेगा। अन्य शब्दों में द्वितीय एकेडेमिक वर्ष के किसी भी सेमेस्टर (तृतीय अथवा चतुर्थ सेमेस्टर) में एक माइनर प्रश्नपत्र का चयन करना अनिवार्य है। अर्थात् विद्यार्थी चाहे तो इसे तृतीय सेमेस्टर में चयनित न कर चतुर्थ सेमेस्टर में चुन सकता है।

(c) **सह पाठ्यक्रम प्रश्नपत्र** (Co-curricular course) बिन्दु 6 (c) में उल्लिखित सह पाठ्यक्रम, जो कि 2 क्रेडिट के है, में से तृतीय सेमेस्टर के लिए निर्दिष्ट सह पाठ्यक्रम ***Physical Education and Yoga*** अनिवार्यतः चयनित करना होगा।

(d) **वोकेशनल कोर्स** बिन्दु 6(d) में उल्लिखित वोकेशनल कोर्स की परिभाषा व व्यवस्था के अनुरूप तृतीय सेमेस्टर में एक वोकेशनल कोर्स (3 क्रेडिट), जो महाविद्यालयों द्वारा तृतीय सेमेस्टर में निर्दिष्ट किया गया है, का चयन करना होगा।

तृतीय सेमेस्टर में क्रेडिट भार

सांराश

Major	12 क्रेडिट
Minor	6 क्रेडिट
Co-Curricular	2 क्रेडिट
Vocational Course	3 क्रेडिट
कुल क्रेडिट	**23 क्रेडिट**
तृतीय सेमेस्टर में माइनर प्रश्नपत्र चयन न करने की दशा में	**12+2+3=17 क्रेडिट**

IV – सेमेस्टर

(a) मेजर विषय/प्रश्नपत्र

भाषा संकाय; कला, मानविकी व सामाजिक विज्ञान संकाय; निष्पादन कला (Performing arts) संकाय; विज्ञान संकाय के पाठ्यक्रमों के चतुर्थ सेमेस्टर में भी पूर्वत् तृतीय सेमेस्टर की ही भॉति कुल दो मुख्य विषयों के यथानिर्दिष्ट प्रश्नपत्र चयनित करने होगे।

चतुर्थ सेमेस्टर में वाणिज्य संकाय के मुख्य विषय निम्नवत होंगे :

Semester	Major -I	Major-II
IV	Income Tax Law and Accounts (6 credit)	(i) Fundamentals of Marketing (4 Credit)
		AND (ii) Digital Marketing (Practical) (2 Credit)

चतुर्थ सेमेस्टर में प्रबंधन (बी0बी0ए0) संकाय के मुख्य विषय निम्नवत होंगे :

Year	Sem.	Subject	Part	Paper Code	Paper Name	Credit
2	IV	Course/ paper-7	A	F010401T	Supply Chain Management	3
			B		Research Methodology	3
	IV	Course/ paper-8	A	F010402T	Specialised Accounting	3
			B		Consumer Behaviour	3

Note: BCA programme will be developed as per table 2.

टिप्पणी : चतुर्थ सेमेस्टर में मुख्य विषयों में परिवर्तन अनुमन्य नहीं हैं।

(b) **माइनर प्रश्नपत्र**

तृतीय सेमेस्टर की ही भॉति एक माइनर प्रश्नपत्र चयनित किया जायेगा, परन्तु यदि विद्यार्थी द्वारा तृतीय सेमस्टर में ही माइनर प्रश्नपत्र का चयन किया जा चुका है तो चतुर्थ सेमेस्टर में माइनर प्रश्नपत्र चयनित करने की आवश्यकता नहीं है।

(c) **सह पाठ्यक्रम प्रश्नपत्र** (Co-curricular course) बिन्दु 6 (c) में उल्लिखित सह पाठ्यक्रम जो कि 2 क्रेडिट के है में से चतुर्थ सेमेस्टर के लिए निर्दिष्ट सह पाठ्यक्रम निम्नवत चयनित करना अनिवार्य है।

<table>
<tr><th colspan="2">कोड</th><th>सह–पाठ्यक्रम (Co-Curricular) का नाम</th><th>क्रेडिट</th><th>निर्दिष्ट सेमेस्टर</th></tr>
<tr><td>Z050401T</td><td rowspan="2">Only one</td><td>Social Responsibility and Community Engagement

(for those who have opted language(s) as major subject or minor course)</td><td rowspan="2">2(2+0)</td><td rowspan="2">IV</td></tr>
<tr><td>Z060401T</td><td>Indian/local language

(for those who have not opted language(s) as major subject or minor course)</td></tr>
</table>

(d) चतुर्थ सेमेस्टर में विद्यार्थी द्वारा बिंदु 6(d) के अनुसार **तीन क्रेडिट** की एक **शोध परियोजना,** जो कि ग्रीष्मावकाश में संपन्न की जाएगी, का चयन करना अनिवार्य है।

चतुर्थ सेमेस्टर में क्रेडिट भार

सांराश

Major	12 क्रेडिट
Minor	6 क्रेडिट
Research Project	3 क्रेडिट
Co-Curricular	2 क्रेडिट
कुल क्रेडिट	**23 क्रेडिट**
चतुर्थ सेमेस्टर में माइनर प्रश्नपत्र चयन न करने की दशा में	**12+3+2=17 क्रेडिट**

V – सेमेस्टर

(a) मेजर विषय/प्रश्नपत्र

कला, मानविकी व सामाजिक विज्ञान; भाषा तथा विज्ञान संकाय के पाठ्यक्रमों के तृतीय एकेडमिक वर्ष (पंचम सेमेस्टर) में दोनों मुख्य विषय के दो–दो प्रश्नपत्र (केवल सैद्धांतिक की दशा में प्रत्येक 5–5 क्रेडिट तथा सैद्धांतिक व प्रायोगिक की दशा में 4+4+2 क्रेडिट) होंगे।

Major Subjects	Faculty of Arts, Science & commerce	BBA (Single Subject)	BCA (Single Subject)
Major–I	Paper -I: 5 क्रेडिट (5+0 अथवा 4+1 क्रेडिट)	Paper I: (3+3 क्रेडिट)	As per table 2
	Paper -II: 5 क्रेडिट (5+0 अथवा 4+1 क्रेडिट)	Paper II: (3+3 क्रेडिट)	
Major-II	Paper -I: 5 क्रेडिट (5+0 अथवा 4+1 क्रेडिट)	Paper III: (2+2 क्रेडिट)	
	Paper -II: 5 क्रेडिट (5+0 अथवा 4+1 क्रेडिट)		
कुल क्रेडिट भार	**20 क्रेडिट**	**16 क्रेडिट**	**16 क्रेडिट**

पंचम सेमेस्टर में वाणिज्य संकाय के मुख्य विषय निम्नवत होंगे :

Semester	Paper I & II	Paper III & IV
V	(i) Corporate Accounting (5 Credit) AND (ii) Goods and Services Tax (5 Credit)	(i) Business Finance (5 Credit) (ii) Principles and Practices of Insurance (5 Credit) (iii) Monetary Theory and Banking in India (5 Credit) *(Choose any TWO)*

पंचम सेमेस्टर में प्रबंधन (बी0बी0ए0) संकाय के मुख्य विषय निम्नवत होंगे :

Year	Sem.	Subject	Part	Paper Code	Paper Name	Credit
3	V	Course/ paper-9	A	F010501T	Income Tax	3
			B		Marketing Communication	3
	V	Course/ paper-14	A	F010502T	Entrepreneurship and small business management	3
			B		Sales management	3
	V	Course/ paper-10	A	F010503T	Industrial Relations & Labour Laws	2
			B		Company Accounts	2

Note: BCA programme will be developed as per table 2.

टिप्पणी : पंचम सेमेस्टर में मुख्य विषयों में परिवर्तन अनुमन्य नहीं हैं।

(b) **माइनर प्रश्नपत्र :** पंचम सेमेस्टर में माइनर प्रश्नपत्र चयनित करने की आवश्यकता नहीं है।

(c) **सह पाठ्यक्रम प्रश्नपत्र** (Co-curricular course): पंचम सेमेस्टर में सह पाठ्यक्रम प्रश्नपत्र चयनित करने की आवश्यकता नहीं है।

(d) **वोकेशनल कोर्स** (Vocational course) : पंचम सेमेस्टर में वोकेशनल कोर्स चयनित करने की आवश्यकता नहीं है।

(e) **शोध परियोजना** (Research Project) : केवल Single subject programme (BBA and BCA) के विद्यार्थी को बिंदु - 6(e) के प्राविधानों के अनुरूप पंचम सेमेस्टर में एक शोध परियोजना (4 क्रेडिट) का चयन करना होगा।

पंचम सेमेस्टर में क्रेडिट भार

सांराश

Courses	**Faculty of Arts, Science & Commerce**	**Single subject Programme (BBA & BCA)**
Major	20 क्रेडिट	16 क्रेडिट
Minor	--	--
Co-Curricular	--	--
Vocational Course	--	--
Research Project	--	4 क्रेडिट
कुल क्रेडिट	**20 क्रेडिट**	**20 क्रेडिट**

VI – सेमेस्टर

(a) मेजर विषय/प्रश्नपत्र

कला, मानविकी व सामाजिक विज्ञान; भाषा तथा विज्ञान संकाय के पाठ्यक्रमों के तृतीय एकेडमिक वर्ष (छठें सेमेस्टर) में भी पंचम सेमेस्टर की ही भॉति कुल 2 मुख्य विषयों के यथानिर्दिष्ट प्रश्नपत्र चयनित करने होगे।

छठें सेमेस्टर में वाणिज्य संकाय के मुख्य विषय निम्नवत होंगे :

Semester	Paper I, II & III	Paper- IV
VI	(i) Accounting for Managers (5 Credit) AND (ii) Auditing (5 Credit) AND (iii) Comprehensive Viva (5 Credit)	(i) Financial Institutions and Market (5 Credit) (ii) Human Resource Management (5 Credit) (iii) Business Ethics and Corporate Governance (5 Credit) *(Chose any ONE)*

छठें सेमेस्टर में प्रबंधन (बी0बी0ए0) संकाय के मुख्य विषय निम्नवत होंगे :

Year	Sem.	Subject	Part	Paper Code	Paper Name	Credit
3	VI	Course/ paper-11	A	F010601T	Project Management	3
			B		Goods & Service Tax	3
	VI	Course/ paper-12	A	F010602T	Auditing	3
			B		International Trade	3
	VI	Course/ paper-13	A	F010603T	Strategic Management	2
			B		Training and Development	2

Note: BCA programme will be developed as per table 2.

टिप्पणी : छठें सेमेस्टर में मुख्य विषयों में परिवर्तन अनुमन्य नहीं हैं।

(b) **माइनर प्रश्नपत्र :** छठें सेमेस्टर में माइनर प्रश्नपत्र चयनित करने की आवश्यकता नहीं है।

(c) **सह पाठ्यक्रम प्रश्नपत्र** (Co-curricular course): छठें सेमेस्टर में सह पाठ्यक्रम प्रश्नपत्र (Co-curricular course) चयनित करने की आवश्यकता नहीं है।

(d) **वोकेशनल कोर्स** (Vocational course) : छठें सेमेस्टर में वोकेशनल कोर्स चयनित करने की आवश्यकता नहीं है।

(e) **शोध परियोजना** (Research Project) : केवल Single subject programme (BBA and BCA) के विद्यार्थी को बिंदु - 6(e) के प्राविधानों के अनुरूप छठें सेमेस्टर में एक शोध परियोजना (4 क्रेडिट) का चयन करना होगा।

छठें सेमेस्टर में क्रेडिट भार

सांराश

Courses	**Faculty of Arts, Science & Commerce**	**Single subject Programme (BBA & BCA)**
Major	20 क्रेडिट	16 क्रेडिट
Minor	--	--
Co-Curricular	--	--
Vocational Course	--	--
Research Project	--	4 क्रेडिट
कुल क्रेडिट	**20 क्रेडिट**	**20 क्रेडिट**

चार वर्षीय स्नातक (मानद); चार वर्षीय स्नातक (मानद शोध सहित) और स्नातकोत्तर (पी0 जी0 – प्रथम) पाठ्यक्रम की रूपरेखा

अर्हताएं (eligibility):

i. चार वर्षीय स्नातक (मानद्) एवं स्नातक (मानद शोध सहित) डिग्री के लिए चतुर्थ वर्ष में विद्यार्थी उपरोक्त **दो मेजर विषयों में से किसी एक विषय** (जिसका अध्ययन विद्यार्थी ने अनिवार्य रूप से पूर्व के तीन वर्षों/छः सेमेस्टर में किया है) का चयन करेगा तथा सप्तम व अष्टम् सेमेस्टर्स में भी उसी विषय को पढ़ेगा। ***परन्तु स्नातक (मानद शोध सहित) डिग्री के लिए विद्यार्थी को पहले से छठें सेमेस्टर तक 75 प्रतिशत अंक अनिवार्यतः प्राप्त होना चाहिए।***

ii. तीन वर्षीय स्नातक के पश्चात विद्यार्थी किसी नये विषय में परास्नातक में प्रवेश ले सकता है (***जिसमे Pre-requisite के अनुसार वह अर्ह है***), परन्तु एक वर्ष की परास्नातक/ चतुर्थ वर्ष की पढ़ाई के बाद उसे कोई डिग्री अथवा डिप्लोमा नहीं मिलेगा। दो वर्ष पूर्ण एवं उत्तीर्ण करने पर ही उसे उस विषय में परास्नातक की डिग्री मिलेगी।

iii. त्रिवर्षीय स्नातक के अध्ययन के पश्चात् चार वर्षीय डिग्री के लिए भी विद्यार्थी को उस विषय में परास्नातक में नया प्रवेश लेना होगा जो कि विश्वविद्यालय में प्रचलित प्रवेश प्रक्रिया के अनुरूप परास्नातक की उपलब्ध सीटों पर किया जायेगा।

सप्तम सेमेस्टर (प्रश्न पत्र व क्रेडिट भार)
(सभी अर्ह संकाय एवं विषयों के लिए)

डिग्री प्रोग्राम	गैर–प्रायोगिक विषयों में		प्रायोगिक विषयों में	
	प्रश्नपत्र व क्रेडिट विवरण	कुल क्रेडिट भार	प्रश्नपत्र व क्रेडिट विवरण	कुल क्रेडिट भार
4 Year UG Degree (Hons.) / P.G. FIRST semester	i. **अनिवार्य प्रश्नपत्र (सैद्धांतिक)** – 4 (प्रत्येक 4–4 क्रेडिट) ii. **वैकल्पिक प्रश्नपत्र (सैद्धांतिक)** – 2 (प्रत्येक 4–4 क्रेडिट) *(नोट : दो वैकल्पिक प्रश्नपत्रों **(A or B)** में से केवल एक ही प्रश्नपत्र का चयन किया जायेगा)*	**20**	i. **अनिवार्य प्रश्नपत्र (सैद्धांतिक)** – 3 (प्रत्येक 4–4 क्रेडिट) ii. **अनिवार्य प्रश्नपत्र (प्रायोगिक)** – 1 (4 क्रेडिट) iii. **वैकल्पिक प्रश्नपत्र (सैद्धांतिक)** – 2 (प्रत्येक 4–4 क्रेडिट) *(नोट : दो वैकल्पिक प्रश्नपत्रों **(A or B)** में से केवल एक ही प्रश्नपत्र का चयन किया जायेगा)*	**20**

4 Year UG Degree (Hons. With research)	i. **अनिवार्य प्रश्नपत्र (सैद्धांतिक)** – 4 (प्रत्येक 4–4 क्रेडिट) *ii.* ***वैकल्पिक प्रश्नपत्र (सैद्धांतिक) के स्थान पर 4 क्रेडिट की एक शोध परियोजना***	20	i. **अनिवार्य प्रश्नपत्र (सैद्धांतिक)** – 3 (प्रत्येक 4–4 क्रेडिट) ii. **अनिवार्य प्रश्नपत्र (प्रायोगिक)** – 1 (4 क्रेडिट) iii. **वैकल्पिक प्रश्नपत्र (सैद्धांतिक) के स्थान पर 4 क्रेडिट की एक शोध परियोजना**	20

अष्टम सेमेस्टर (प्रश्न पत्र व क्रेडिट भार)

(सभी अर्ह संकाय एवं विषयों के लिए)

डिग्री प्रोग्राम	गैर–प्रायोगिक विषयों में		प्रायोगिक विषयों में	
	प्रश्नपत्र व क्रेडिट विवरण	कुल क्रेडिट भार	प्रश्नपत्र व क्रेडिट विवरण	कुल क्रेडिट भार
4 Year UG Degree (Hons.) / P.G. SECOND semester	iii. **अनिवार्य प्रश्नपत्र (सैद्धांतिक)** – 4 (प्रत्येक 4–4 क्रेडिट) iv. **वैकल्पिक प्रश्नपत्र (सैद्धांतिक)** – 2 (प्रत्येक 4–4 क्रेडिट) *(नोट : दो वैकल्पिक प्रश्नपत्रों* ***(A or B)*** *में से केवल एक ही प्रश्नपत्र का चयन किया जायेगा)*	20	iv. **अनिवार्य प्रश्नपत्र (सैद्धांतिक)** – 3 (प्रत्येक 4–4 क्रेडिट) v. **अनिवार्य प्रश्नपत्र (प्रायोगिक)** – 1 (4 क्रेडिट) vi. **वैकल्पिक प्रश्नपत्र (सैद्धांतिक)** – 2 (प्रत्येक 4–4 क्रेडिट) *((नोट : दो वैकल्पिक प्रश्नपत्रों* ***(A or B)*** *में से केवल एक ही प्रश्नपत्र का चयन किया जायेगा)*	20
4 Year UG Degree (Hons. With research)	iv. **अनिवार्य प्रश्नपत्र (सैद्धांतिक)** – 4 (प्रत्येक 4–4 क्रेडिट) *v.* ***वैकल्पिक प्रश्नपत्र (सैद्धांतिक) के स्थान पर 4 क्रेडिट की एक शोध परियोजना***	20	iii. **अनिवार्य प्रश्नपत्र (सैद्धांतिक)** – 3 (प्रत्येक 4–4 क्रेडिट) iv. **अनिवार्य प्रश्नपत्र (प्रायोगिक)** – 1 (4 क्रेडिट) vi. **वैकल्पिक प्रश्नपत्र (सैद्धांतिक) के स्थान पर 4 क्रेडिट की एक शोध परियोजना**	20

नवम सेमेस्टर (प्रश्न पत्र व क्रेडिट भार – सभी अर्ह संकाय एवं विषयों के लिए)

डिग्री प्रोग्राम	गैर–प्रायोगिक विषयों में		प्रायोगिक विषयों में	
	प्रश्नपत्र व क्रेडिट विवरण	कुल क्रेडिट भार	प्रश्नपत्र व क्रेडिट विवरण	कुल क्रेडिट भार
P.G. (THIRD Semester)	i. **अनिवार्य प्रश्नपत्र (सैद्धांतिक)** – 3 (प्रत्येक 4–4 क्रेडिट) *ii.* **वैकल्पिक प्रश्नपत्र (सैद्धांतिक)** – 2 (प्रत्येक 4–4 क्रेडिट) *(नोट : दो वैकल्पिक प्रश्नपत्रों **(A or B)** में से केवल एक ही प्रश्नपत्र का चयन किया जायेगा)* iii. **एक शोध परियोजना (4 क्रेडिट)**	20	i. **अनिवार्य प्रश्नपत्र (सैद्धांतिक)** – 2 (प्रत्येक 4–4 क्रेडिट) ii. **अनिवार्य प्रश्नपत्र (प्रायोगिक)** – 1 (4 क्रेडिट) iii. **वैकल्पिक प्रश्नपत्र (सैद्धांतिक)** – 2 (प्रत्येक 4–4 क्रेडिट) *(नोट : दो वैकल्पिक प्रश्नपत्रों **(A or B)** में से केवल एक ही प्रश्नपत्र का चयन किया जायेगा)* iv. **एक शोध परियोजना (4 क्रेडिट)**	20

दशम सेमेस्टर (प्रश्न पत्र व क्रेडिट भार – सभी अर्ह संकाय एवं विषयों के लिए)

डिग्री प्रोग्राम	गैर–प्रायोगिक विषयों में		प्रायोगिक विषयों में	
	प्रश्नपत्र व क्रेडिट विवरण	कुल क्रेडिट भार	प्रश्नपत्र व क्रेडिट विवरण	कुल क्रेडिट भार
P.G. (FOURTH Semester)	i. **अनिवार्य प्रश्नपत्र (सैद्धांतिक)** – 1 (प्रत्येक 4 क्रेडिट) *ii.* **वैकल्पिक प्रश्नपत्र (सैद्धांतिक)** – 6 (प्रत्येक 4–4 क्रेडिट) *(नोट : दो वैकल्पिक प्रश्नपत्रों के तीन युग्मों **(**प्रत्येक युग्म में दो प्रश्नपत्र **- A or B)** में से प्रत्येक युग्म **(group)** से एक–एक प्रश्नपत्र (कुल तीन) का चयन किया जायेगा)* ***<u>अथवा</u>*** *विशिष्टीकरण के आधार पर तीन – तीन प्रश्नपत्रों के दो युग्मों में से कोई एक युग्म का चयन किया जायेगा।)* iii. **एक शोध परियोजना (4 क्रेडिट)**	20	i. **अनिवार्य प्रश्नपत्र (प्रायोगिक)** – 1 (4 क्रेडिट) ii. **वैकल्पिक प्रश्नपत्र (सैद्धांतिक)** – 6 (प्रत्येक 4–4 क्रेडिट) *(नोट : दो वैकल्पिक प्रश्नपत्रों के तीन युग्मों **(**प्रत्येक युग्म में दो प्रश्नपत्र **- A or B)** में से प्रत्येक युग्म **(group)** से एक–एक प्रश्नपत्र (कुल तीन) का चयन किया जायेगा)* ***<u>अथवा</u>*** *विशिष्टीकरण के आधार पर तीन – तीन प्रश्नपत्रों के दो युग्मों में से कोई एक युग्म का चयन किया जायेगा।)* iv. **एक शोध परियोजना (4 क्रेडिट)**	20

विविध प्राविधान

A. एक क्रेडिट सैद्धांतिक कोर्स से तात्पर्य प्रति सप्ताह 1 घंटे (60 मिनट) के एक व्याख्यान पीरियड से है।

B. एक क्रेडिट प्रायोगिक कोर्स से तात्पर्य प्रति सप्ताह 2 घंटे (120 मिनट) के एक प्रायोगिक कार्य पीरियड से है।

C. किसी एक सेमेस्टर में शिक्षण कार्य पूर्णावधि 15 सप्ताह (90 दिवस) है। किसी भी परिस्थिति में शिक्षण कार्य शिक्षण दिवस कम होने पर शिक्षण कार्य अतिरिक्त कक्षाएं/ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कर पूर्ण की जाएगी।

D. ऑनलाइन कोर्स मैपिंग एंड क्रेडिट ट्रांसफर पालिसी (Online Course mapping and credit transfer policy) क्रियान्वयन के शासनादेश संख्या 2126/सत्तर–3–2024–08(19) दिनांक 02.09.2024 के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा पृथक से नियमावली निर्गत की जाएगी।

E. यदि अन्यथा निर्देशित नहीं है तो द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं छठें सेमेस्टर की कक्षाएं परीक्षाएं समाप्त होने के बाद समय पर आरंभ होगी तथा इनका प्रवेश पूर्व सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिन में कक्षाओं के समय के पश्चात पूर्ण किए जाएंगे।

F. परीक्षा देने के लिए पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत*** उपस्थिति अनिवार्य। यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पता है, तो वह आगामी समय में अर्हित परीक्षा दे सकता है। उसे पुनः कक्षाएं लेने की आवश्यकता नहीं है।

Provided that in special circumstances a shortage upto 15 percent of the prescribed attendance may be condoned as hereinafter specified.

(i) Upto 5 percent of the total number of lectures delivered or tutorial classes held or practical work done by the Principal of the college in case of college students, by the Dean of the Faculty in case of University students appearing at the Bachelors degree examination, and the Head of Department concerned in case of University students appearing at the Masters degree or diploma examinations, a further shortage upto 10 percent of the total numbers of lectures delivered or tutorial classes held or practical work done, by the Vice-Chancellor on the recommendation of the Principal of the college concerned, in case of college students, of the Dean of the Faculty concerned, in case of University students appearing at a Bachelors degree examination and of the Head of the Department concerned in case of University students appearing at any other degree or diploma examination. Provided further that in the Faculty of Law in the case of L.L.B. examinations the maximum condonation permissible shall be upto 9 percent and no candidate shall be allowed to appear as a regular student at the Ist, IInd or IIIrd year examinations who has not attended a minimum of 66 percent of the lectures delivered, tutorial classes held or practical work done in each paper separately or in special circumstances with the permission of the Vice-Chancellor on the recommendation of the Dean in all the papers taken together.

3. (A) Attendance at N.C.C. and N.S.S. camps or participation in inter University/State Championship tournaments on working days shall count as attendance in the class and it shall be the duty of camp incharge /President, Atheletic Association, Poorvanchal University to intimate the names of students attending such camp or tournament to the principal of the concerned college in case of college students and to the Registrar in case of students of the University teaching departments.

Provided that total exemptions from attendance on ground of N.C.C. or N.S.S. camps or for participation in inter

F. एकल विषयक स्नातक / एकल विषय स्नातक (मानद) जैसे B. B. A./B. C. A. आदि की सेमेस्टर के अनुसार क्रेडिट संरचना तालिका के अनुसार होगी, जो निम्नलिखित है :

3 year Honors/Single subject programme structure
Table 2: (To be in effect from 2024-25 Session)

{Cummulative Minimum Credits} Required for Award of Certificate/ Diploma/ Degree			Subject I	Subject II	Subject III	Vocational Skill Enhancement Courses (SEC) with Summer Internship	Co-Curricular Ability / Enhancement Courses (AEC)	Research Project / Dissertation / Internship/ Field or survey work	{Minimum Credits} For the year
			Major (core)	Major (core)	Minor Multidisciplinary	Minor	Minor	Major	
			4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	6 Credits	3 Credits	2 Credits	3/4/5 Credits	
	Year	Sem.	Own Faculty	Own Faculty	Other Faculty	Vocational Skill Enhancement Courses (SEC) with Summer Internship	Co-Curricular Ability / Enhancement Courses (AEC)	Inter/Intra Faculty related to main Subject	
{40} Certificate in Faculty	1	I	Th-3(4) or Th-2(4)+ Pract-1(4)		1 (6)	1 (3)	1 (2)		40
		II	Th-3(4) or Th-2(4)+ Pract-1(4)			1 (3)	1 (2)		
{40+40=80} Diploma in Faculty	2	III	Th-3(4) or Th-2(4)+ Pract-1(4)		1 (6)	1 (3)	1 (2)		40
		IV	Th-3(4) or Th-2(4)+ Pract-1(4)				1 (2)	1 (3) Point 7.1	
{80+40=120} 3-year Single Subject Plain UG Degree	3	V	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)					1 (4)	40
		VI	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)					1 (4)	
					or				
{80+50=130} 3-year Single Subject Honours UG Degree		V	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)					1 (5)	50
		VI	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)					1 (5)	

- Single subject 3 years UG programme examples: BBA, BCA, BHM, BSc (Chemistry), BSc, Chemistry (Hnours), Etc.
- After both the above programmes (3 years plain or Honours degree), one has to pursue 4th/ 5th years of UG/ PG programmes as given in the Table 1, in the same manner as the one who completes, 3 years UG degree of Table 1.

मूल्यांकन

मेजर विषय तथा माइनर कोर्स के यथा–अधिष्ठित सैद्धांतिक व प्रायोगिक प्रश्नपत्रों के पूर्णांक 100 है। मेजर विषय तथा माइनर कोर्स के सैद्धांतिक प्रश्नपत्रों के पूर्णांक 100 को 25 अंक सतत् आतंरिक मूल्यांकन हेतु तथा 75 अंक वाह्य परीक्षा (विश्वविद्यालय द्वारा संपन्न) के रूप में मूल्यांकन हेतु प्राविधानित है। सतत् आतंरिक मूल्यांकन एवं वाह्य परीक्षा निम्नवत संपन्न होगी :

1. सतत् आतंरिक मूल्यांकन :

सतत् आतंरिक मूल्यांकन (सैद्धांतिक प्रश्नपत्रों हेतु)

(1) Project/ essay /assignment/ Survey/book review, (2) Seminar/presentation, (3) Role play /screen play/ puzzle /student parliament, (4) Quiz/mid-term/ test, (5) Exhibition/fair/ educational visit. *Note:* • *Minimum any (1-5) two activities, and* • *The weightage of marks for each activity to be assigned by Course Instructor(s) in such way that the marks for any one activity should not exceed 15 marks in any circumstances.*	25 अंक
कुल अंक	25 अंक

(i) Quiz/mid-term/ test वस्तुनिष्ठ अथवा अतिलघुत्तरीय हो सकती है।

(ii) राष्ट्रीय पर्व व महत्वपूर्ण दिवसों / आयोजनों पर विद्यार्थी की उपस्थिति अथवा / प्रतिभागिता के लिए उसे अतिरिक्त 5 अंक तक इस प्रकार प्रदान किये जा सकते है कि सतत् आतंरिक मूल्यांकन का कुल पूर्णांक 25 ही रहे।

2. वाह्य परीक्षा :

(i) विश्वविद्यालय द्वारा सम्पादित होने वाली एन्ड सेमेस्टर की सैद्धांतिक परीक्षाएं

मेजर व माइनर विषयों के सैद्धांतिक प्रश्नपत्रों का मूल्यांकन प्रतिरूप

S. No.	Pattern of the questions		Total no. of questions	No. of questions to be answered	Marks assigned for each question	Total marks (75)	Time
	Sections	Type of questions					
1	Section - A (Very short	DESCRIPTIVE (about 50 words)	10	10	02	10 x 2 =20	

	answer type)						3 Hr.
2	Section - B (Short answer type)	DESCRIPTIVE (about 200 words)	08	05 (any five)	07	05 x 07 =35	
3	Section - C (Long answer type)	DESCRIPTIVE (about 500 words)	04	02 (any two)	10	02 x 10 =20	

(ii) **विश्वविद्यालय द्वारा सम्पादित होने वाली एन्ड सेमेस्टर की प्रायोगिक परीक्षाएं**

मेजर विषयों के प्रश्नपत्रों का प्रायोगिक मूल्यांकन

प्रायोगिक परीक्षा प्रतिरूप	
कुल निर्धारित अंक जिसमें,	100 अंक
(a) प्रायोगिक कार्य परीक्षण /लैब वर्क /लिखित परीक्षण	75 अंक
(b) मौखिकी (Viva voce)	25 अंक
Passing Marks (a+b)	33

नोट : प्रायोगिक परीक्षा के अंक विश्वविद्यालय के पोर्टल पर 100 अंक के सापेक्ष ऑनलाइन अपलोड किया जायेगा। प्रायोगिक प्रश्नपत्रों में आतंरिक सतत मूल्यांकन का प्राविधान नहीं है।

(iii) सह–पाठ्यक्रम (Co-curricular) कोर्स के प्रश्नपत्र का प्रतिरूप

Sem.	Name of co-curricular course	Pattern of examination	Type of question	No. of questions	Max. Marks	Remarks
I	First Aid and Health	OBJECTIVE TYPE (OMR-based)	OBJECTIVE TYPE With FOUR options	100	100 x1 =100 ***(Passing marks =***	Time: 2:00 hours
II	Human Values and Environment Studies					
III	Physical Education and Yoga					

IV	Social Responsibility and Community Engagement OR Indian/ Local Languages				***33 Marks)***	There is NO negative marking.

(iv) वोकेशनल/ कौशल विकास कोर्स के प्रश्नपत्र का प्रतिरूप

वोकेशनल/ कौशल विकास कोर्स की परीक्षा सम्बंधित महाविद्यालय /कौशल विकास प्रदाता द्वारा निर्धारित प्रतिरूप पर इन्हीं के द्वारा संम्पन्न की जाएगी (सैद्धांतिक भाग 1 क्रेडिट की परीक्षा महाविद्यालय द्वारा तथा ट्रेनिंग/ प्रायोगिक/कौशल परीक्षण 2 क्रेडिट की परीक्षा स्किल पार्टनर द्वारा संपन्न किया जायेगा)। प्रत्येक वोकेशनल/ कौशल विकास कोर्स की परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें 40 अंक सैद्धांतिक के तथा 60 अंक प्रायोगिक/कौशल परीक्षण के होंगें। वोकेशनल/ कौशल विकास कोर्स में उत्तीर्ण होने के लिए इसके सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक/स्किल टेस्ट परीक्षा के निर्धारित 100 अंक में से 40 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक/स्किल टेस्ट परीक्षा में पृथक–पृथक उत्तीर्ण होने की बाध्यता नहीं है।

(टिपण्णी : शैक्षणिक संस्था एवं स्किल पार्टनर संयुक्त रूप से विद्यार्थी द्वारा संपन्न किये गए कौशल विकास पाठ्यक्रम के लिए अलग से प्रमाण पत्र निर्गत कर सकते हैं)

ग्रेडिंग–प्रणाली

NEP–2020 के अंतर्गत स्नातक [बी० ए०, बी–एस० सी०, बी० काम० व बी० बी० ए०] पाठ्यक्रमों हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 स्नातक स्तर पर सत्र 2021–22 से प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में लागू की गई है, इस हेतु शासनादेश संख्या 1567/सत्तर–3–202116(26)–2011 टी.सी., दिनांक 13 जुलाई 2021, के संदर्भ में सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक ग्रेडिंग–प्रणाली की आवश्यकता है, जिससे सभी विश्वविद्यालयों में समान व्यवस्था हो तथा विद्यार्थी का एक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में ABACUS-UP के द्वारा स्थानांतरण किया जा सके। अतः स्टीयरिंग कमेटी द्वारा प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में निम्नलिखित 10 पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली लागू किये जाने की संस्तुति की गयी है, जो यूजीसी के दिशा निर्देशों पर आधारित है।

तलिका – 1 (Table-1)

लेटर ग्रेड	विवरण	स्नातक *(ऐकडेमिक वर्ष I से III तक)*		4 वर्षीय स्नातक / स्नातकोत्तर *(ऐकडेमिक वर्ष IV से V तक)*	
		अंको की सीमा	ग्रेड पॉइंट	अंको की सीमा	ग्रेड पॉइंट
O	Outstanding	91-100	10	91-100	10
A^+	Excellent	81-90	9	81-90	9
A	Very Good	71-80	8	71-80	8
B^+	Good	61-70	7	61-70	7
B	Above Average	51-60	6	51-60	6
C	Average	41-50	5	41-50	5
P	Pass	33-40	4	36-40	4
F	Fail	0-32	0	0-35	0
AB	Absent	Absent	0	Absent	0
Q	Qualified	-	-	-	-
NQ	Not Qualified	-	-	-	-

2. उत्तीर्ण प्रतिशत (Passing Marks)

2.1 Qualifying पेपर्स में Qualified के लिए Q ग्रेड तथा Not Qualified के लिए NQ ग्रेड दिया जायेगा।

2.2 उपरोक्त तालिका में मुख्य एवं माइनर विषयों का प्रत्येक कोर्स / पेपर (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल सभी) Credit course है तथा इन सभी का उत्तीर्ण प्रतिशत अब तक प्रचलित 33 प्रतिशत (ऐकडेमिक वर्ष **I** से **III** तक) तथा 36 प्रतिशत (**IV** से **V**) ही होगा।

2.3 सह–पाठ्यक्रम कोर्स (Co-curricular courses) तथा शोध परियोजना (Research project) भी Credit course है तथा इनके उत्तीर्णांक क्रमशः 33% (overall 33 marks) एवं 40% (overall 40 marks) होंगे ।

2.4 चार कौशल विकास कोर्स (Skill development/ Vocational courses) भी Credit course हैं तथा इनके उत्तीर्णांक भी 40% ही होगा। शासनादेश संख्या 2058/सत्तर–3–2021–08(33)–2020. टी सी. दिनांक 26 अगस्त 2021 में प्रदान की गई व्यवस्था के अनुक्रम में कौशल विकास/रोजगार परक कोर्स/पेपर का मूल्यांकन कुल पूर्णांक 100 में से होगा, जिनमें से प्रशिक्षण/ट्रेनिंग प्रैक्टिल आधारित कार्य का मूल्यांकन 60 अंकों में से होगा तथा सैद्धांतिक (Theory) आधारित कार्य का मूल्यांकन 40 अंकों में से होगा। कौशल विकास कोर्स/पेपर में कुल पूर्णांक 100 में से न्यूनतम उत्तीर्णांक 40 होंगे। प्रशिक्षण/ट्रेनिंग एवं सैद्धांतिक (Theory) में अलग–अलग कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे।

2.5 सभी विषयों के मुख्य व माइनर के प्रत्येक कोर्स/पेपर (सैद्धांतिक प्रश्नपत्रों में) में अधिकतम अंक 100 में से प्राप्तांकों की गणना 25 अंकों के सतत् आन्तरिक मूल्यांकन व 75 अंकों की विश्वविद्यालय (बाह्य) परीक्षा में प्राप्त अंको को जोड़ कर की जायेगी।

2.6 मुख्य एवं माइनर विषयों के प्रत्येक कोर्स / पेपर (सैद्धांतिक प्रश्नपत्रों) में उत्तीर्ण होने हेतु (अ) ऐकडेमिक वर्ष **I** से **III** तक विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से न्यूनतम 25 अंक (75 का 33 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करने होंगे।

जबकि मुख्य विषयों के प्रत्येक कोर्स / पेपर (सैद्धांतिक प्रश्नपत्रों) में उत्तीर्ण होने हेतु (अ) ऐकडेमिक वर्ष IV से V तक विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से न्यूनतम 25 अंक (75 का 33 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 36 अंक प्राप्त करने होंगे।

2.7 ऐकडेमिक वर्ष **I** से **III** तक मेजर विषयों (प्रायोगिक प्रश्नपत्रों में) तथा सह–पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होने हेतु कुल 100 अंकों में से 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। जबकि शोध परियोजना तथा वोकेशनल कोर्सेज में उत्तीर्ण होने हेतु कुल 100 अंकों में से 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।

जबकि ऐकडेमिक वर्ष IV से V तक मेजर विषयों (प्रायोगिक प्रश्नपत्रों में) कुल 100 अंकों में से 36 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।

2.8 किसी भी कोर्स/पेपर के आन्तरिक मूल्यांकन में कोई भी न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत नहीं है। यदि किसी विद्यार्थी को आन्तरिक मूल्यांकन में शून्य अंक व बाह्य परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 33 (मुख्य एवं माइनर विषयों में) प्रतिशत अंक मिलते हैं, तब भी वह उत्तीर्ण होगा। आन्तरिक मूल्यांकन में पूर्ण अनुपस्थिति पर भी शून्य अंक ही मिलेगें।

2.9 किसी भी प्रकार के कृपांक (Grace mark) नहीं दिये जायेंगे।

3. कक्षोन्नति (Promotion)

3.1 विद्यार्थी को वर्तमान विषम (Odd) सेमेस्टर से अगले सम (Even) सेमेस्टर में सदैव प्रोन्नत किया जायेगा, चाहे वर्तमान विषम सेमेस्टर का परिणाम कुछ भी हो, बशर्ते की वह अमुक विषम (Odd) सेमेस्टर की संपूर्ण परीक्षा (विश्वविद्यालय द्वारा संपन्न की जाने वाली) में अनुपस्थित न हो। संपूर्ण सेमेस्टर की परीक्षा में अनुपस्थित होने पर 'Year Back' विद्यार्थी/परीक्षार्थी माना जायेगा।

3.2 वर्तमान सम (Even) सेमेस्टर से अगले विषम (Odd) सेमेस्टर अर्थात् वर्तमान वर्ष से अगले वर्ष में प्रोन्नति निम्न शर्तों के साथ दी जायेगीः

(अ) विद्यार्थी ने वर्तमान वर्ष (दोनों सेमेस्टर मिलाकर) के कुल आवश्यक (required) क्रेडिट्स का न्यूनतम 50% क्रेडिट के पेपर्स (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल मिलाकर) उत्तीर्ण कर लिए हों, तथा (and)

(ब) विद्यार्थी ने वर्तमान वर्ष (दोनों सेमेस्टर) के Major विषयों (दो मुख्य विषय – प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष में तथा एक मुख्य विषय – चतुर्थ, पंचम वर्ष में) के सभी पेपर्स (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल मिलाकर) के कुल क्रेडिट्स का न्यूनतम 50% क्रेडिट के पेपर्स उत्तीर्ण कर लिया हो। 50% क्रेडिट की गणना करने में दशमलव के बाद के अंक नहीं गिने जाएंगे, जैसे कि 27.6 तथा 27.3 को 27 ही माना जाएगा।

[परन्तुक, सम सेमेस्टर की संपूर्ण परीक्षा (विश्वविद्यालय द्वारा संपन्न की जाने वाली) में अनुपस्थित न हो।]

प्राविधान 3.2 (अ) तथा (ब) का पालन न होने अथवा 3.2 के *परन्तुक में वर्णित परिस्थितियों में विद्यार्थी/परीक्षार्थी को 'Year Back' विद्यार्थी/परीक्षार्थी माना जायेगा।]*

3.3 द्वितीय वर्ष से तृतीय वर्ष में प्रोन्नति के लिए प्रथम वर्ष के आवश्यक (required) 40 क्रेडिट्स के सभी (मुख्य/माइनर/स्किल/सह–पाठ्यक्रम इत्यादि) पेपर्स को उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा।

3.3(i) चार वर्षीय पाठ्यक्रमों में तृतीय वर्ष से चतुर्थ वर्ष में प्रोन्नति के लिए द्वितीय वर्ष के आवश्यक (required) 40 क्रेडिट्स के सभी (मुख्य/माइनर/स्किल/सह–पाठ्यक्रम/शोध परियोजना इत्यादि) पेपर्स को उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। साथ – ही, चार वर्षीय स्नातक (मानद) की उपाधि में जिस एक विषय को विद्यार्थी चुनेगा उसमें पहले से तीसरे वर्ष के सभी सेमेस्टर्स में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। चार वर्षीय स्नातक (मानद शोध सहित) में तीनों वर्ष के सभी सेमेस्टर के सभी प्रश्नपत्रों में 75 प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

3.3(ii) मुख्य / माइनर / स्किल / सह–पाठ्यक्रम / शोध परियोजना के प्राप्त ग्रेड की गणना सी0 जी0 पी0 ए0 में की जाएगी।

4. बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) परीक्षा

4.1 आन्तरिक परीक्षा में बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) हेतु परीक्षा नहीं होगी। केवल पूर्ण सेमेस्टर को बैक परीक्षा के रूप में दोबारा देने की स्थिति में विश्वविद्यालय परीक्षा के साथ आन्तरिक मूल्यांकन भी किया जा सकता है किन्तु एक विद्यार्थी दो पूर्ण सेमेस्टर्स की संपूर्ण परीक्षाएं एक साथ नहीं दे सकेगा।

4.2 विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) की सुविधा सम (विषम) सेमेस्टर्स के पेपर्स के लिए सम (विषम) सेमेस्टर्स में ही उपलब्ध होगी।

4.3 विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) हेतु परीक्षा के लिए कोर्स / पेपर तथा उसका पाठ्यक्रम (Syllabus) वही होगा जो उस वर्तमान सेमेस्टर जिसमें वह परीक्षा दे रहा है. में उपलब्ध होगा।

4.4 विद्यार्थी बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) हेतु किसी भी कोर्स / पेपर की विश्वविद्यालय (बाह्य) परीक्षा काल बाधित ना होने तक चाहे कितनी भी बार दे सकता है किन्तु यह व्यवस्था वर्तमान वर्ष से केवल 1 वर्ष पहले के पेपर्स के लिए ही उपलब्ध होगी।

5. काल अवधि

किसी भी एक वर्ष को पूरा करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी। व्याख्या (Explanation):– यदि विद्यार्थी सतत्ता में तीनों वर्ष की पढ़ाई करता है, तो उसे अधिकतम नौ वर्ष मिलेगें। किन्तु यदि विद्यार्थी किसी एक वर्ष का सर्टिफिकेट / डिप्लोमाा लेकर चला जाता है, तो वह बाकी के वर्षों की पढाई दोबारा शुरू करने के लिए कभी भी वापस आ सकता है तथा उसे आगे के वर्षों की पढाई पूरा करने के लिए तीन वर्ष (प्रति एक वर्ष की पढ़ाई) के मिलेगें।

6. CGPA की गणना

6.1 SGPA एवं CGPA की गणना निम्नवत सूत्रों से की जाएगी:

j^{th} सेमेस्टर के लिए SGPA (Sj) = $\Sigma (C_i \times G_i) / \Sigma C_i$	यहाँ पर: C_i= number of credits of the i^{th} course in j^{th} semester, G_i= grade point scored by the student in the i^{th} course in j^{th} semester.
SGPA = $\Sigma (C_j \times S_j) / \Sigma C_j$	यहाँ पर: S_j=SGPA of the j^{th} semester. C_j= total number of credits in the j^{th} semester

6.2 CGPA को प्रतिशत अंको में निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिवर्तित किया जायेगाः

समतुल्य प्रतिशत = CGPA x 9.5

6.3 विद्यार्थियों को निम्नवत सारणी के अनुसार श्रेणी (Division) प्रदान की जाएगीः

तलिका–2 (Table-2)

श्रेणी	**वर्गीकरण**
प्रथम श्रेणी	6.50 अथवा उससे अधिक तथा 10.00 से कम CGPA
द्वितीय श्रेणी	5.00 अथवा उससे अधिक तथा 6.50 से कम CGPA
तृतीय श्रेणी	4.00 अथवा उससे अधिक तथा 5.00 से कम CGPA

*****

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–3
संख्या– 2090 /सत्तर–3–2024–09(01)/2023(L4)
लखनऊ : दिनॉक :02 अगस्त, 2024

1. **कुलपति,**
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

2. **निदेशक,**
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

जैसा कि आप अवगत हैं कि प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 लागू किये जाने विषयक शासनादेश संख्या–1567/सत्तर–3–2021–16(26)/2011 टी.सी. दिनांक 13.07.2021 के माध्यम से प्रदेश स्थित उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों को चार वर्षीय डिग्री प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गयी है।

2– उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0) द्वारा माह दिसम्बर, 2022 में Curricular & Credit Framework for Four Year Undergraduate Programme (FYUP) जारी किया गया है। यू0जी0सी0 द्वारा जारी उक्त फ्रेमवर्क के अनुरूप VC's समिति के सुझाव पर प्रदेश की Curricular & Credit Framework for Four Year Undergraduate Programme (FYUP) नीति तैयार की गयी है, जिसे संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय कृपया इन पर विचार करना चाहें तथा सक्षम निकायों/प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करके शैक्षिक सत्र 2024–25 से लागू करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोक्त।

/
(एम0पी0 अग्रवाल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
2– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
3– अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, लखनऊ।
4– प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा, कु0 मायावती राजकीय महिला महाविद्यालय, बादलपुर, गौतमबुद्ध नगर।

आज्ञा से,
(शिपू गिरि)
विशेष सचिव।

संलग्नक

स्नातक/चार वर्षीय स्नातक/परास्नातक कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों की संरचना
(Structure of UG, FYUP and PG Programmes)

1. संदर्भ (Introduction)-

यू0जी0सी0 द्वारा जारी किये गये Curriculum & Credit Framework for Four Year Undergraduate Programme (FYUP) में 20 Credit प्रति सेमेस्टर का प्रावधान है जबकि उत्तर प्रदेश में शासनादेश संख्या–1567/सत्तर–3–2021–16(26)/2011टी.सी., दिनांक 13 जुलाई, 2021 द्वारा लागू NEP-2020 की संरचना में Credits अधिक हैं। शिक्षकों एवं छात्रों की ओर से भी पिछले दो वर्षो में यह महसूस किया जा रहा है कि छात्रों पर Credits का भार ज्यादा है और उसे कुछ कम किया जा सकता है। अतः उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के वर्तमान UG-PG पाठ्यक्रम संरचना में UGC-FYUP के 20 क्रेडिट/सेमेस्टर के प्रावधान को अंगीकृत करते हुए संशोधित तालिकायें तथा उनका विस्तृत विवरण निम्नवत् है :–

2. क्षेत्र (Scope)-

2.1 (अ) यह व्यवस्था कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि संकायों में त्रिवर्षीय बहुविषयक स्नातक तथा चार वर्षीय स्नातक (मानद व मानद शोध सहित) यथा बी0ए0, बी0एससी0 एवं बी0काम0 तथा एकल विषय परास्नातक यथा एम0ए0, एम0एससी0, एम0काम0 कार्यक्रमों में लागू होगी।

(ब) त्रिवर्षीय एकल विषय स्नातक, स्नातक (आनर्स), यथा बी0एससी0 (माइक्रोबाओलोजी) इत्यादि तथा एकल विषयक/संकाय स्नातक यथा बी0सी0ए0, बी0बी0ए0 आदि कार्यक्रमों में भी लागू होगी।

2.2 (अ) त्रिवर्षीय स्नातक स्तर पर विभिन्न विषयों के न्यूनतम समान पाठ्यक्रम (Minimum Common Syllabus) पूर्व में ही उपलब्ध करा दिये गये हैं। वह आगे भी लागू रहेंगे।

(ब) चार वर्षीय स्नातक (FYUP) कोर्स का पाठ्यक्रम स्नातक के तीन वर्ष एवं परास्नातक के प्रथम वर्ष को जोड़कर माना जायेगा, पृथक से नये पाठ्यक्रम बनाने की आवश्यकता नहीं होगी।

2.3 (अ) बहुविषयक त्रिवर्षीय स्नातक, चार वर्षीय स्नातक (एप्रेन्टिससिप एम्बेडिड), चार वर्षीय स्नातक (मानद) एवं स्नातक (मानद शोध सहित), परास्नातक एवं प्री–पीएच.डी. कोर्स वर्क इत्यादि में विषयों तथा क्रेडिट्स की विस्तृत जानकारी तालिका–1 में दी गई है।

(ब) त्रिवर्षीय एकल विषय स्नातक, स्नातक (आनर्स), यथा बी0एससी0 (माइक्रोबाओलोजी) इत्यादि तथा एकल विषयक/संकाय स्नातक यथा बी0सी0ए0, बी0बी0ए0 आदि के लिए व्यवस्था तालिका–2 में दी गई है।

2.4 यह सभी व्यवस्थायें सत्र 2024–25 से लागू होंगी।

2.5 अन्य संकायो अथवा कार्यक्रमों यथा–चिकित्सा, तकनीकी, शिक्षक शिक्षा, कृषि, विधि आदि में नियामक संस्थाओं के नियम लागू होते हैं, उन के लिए व्यवस्था का निर्धारण नियामक संस्थाओं यथा–एम0सी0आई0, ए0आई0सी0टी0ई0, एन0सी0टी0ई0, बी0सी0आई0 आदि के एन0ई0पी0–2020 के अनुरूप नए पाठ्यक्रम व संरचना आने पर किया जायेगा।

3. परिभाषाएं–

3.1 पाठ्यक्रम/कार्यक्रम (Programme)-

एक वर्ष का सर्टिफिकेट, दो वर्ष का डिप्लोमा, तीन वर्ष की स्नातक डिग्री, चार वर्ष की स्नातक (मानद), स्नातक (मानद शोध सहित) डिग्री एवं स्नातक (एप्रेन्टिससिप एम्बेडिड), पॉच वर्ष की

स्नातकोत्तर डिग्री तथा शोध उपाधि यथा–बी0ए0, बी0एससी0, बी0कॉम, बी0एड0, बी0बी0ए0, बी0एल0ई0, एम0ए0, एम0एससी0, एम0कॉम0, एल0एल0बी0, पीएच0डी0 इत्यादि।

3.2 संकाय (Faculty)-

3.2.1 संकाय विषयों का समूह है यथा–कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय इत्यादि।

3.2.2 छात्रों को बहुविषयकता उपलब्ध कराने के लिये संकायों में विषयों के वर्गीकरण एवं विषय कोडिंग की व्यवस्था शासनादेश संख्या–1267/सत्तर–3–2021–16(26)/2011, दिनॉक 15.06.2021 के अनुसार होगी।

3.2.3 उक्त शासनादेश में निर्धारित कतिपय संकायों को यू0जी0सी0 के सुझाव के अनुसार और अधिक विभाजित किया जा रहा है। जैसे कि विज्ञान संकाय को गणितीय विज्ञान, जैविक विज्ञान, भौतिकीय विज्ञान संकाय इत्यादि तथा भाषा संकाय को भारतीय व विदेशी भाषा संकायों इत्यादि में। उक्त के लिए पृथक से शासनादेश जारी किया जायेगा।

3.2.4 कला एवं विज्ञान संकायों में विभाजन को बहुविषयकता के लिये अलग संकाय माना जायेगा किन्तु उन्हें डिग्री क्रमशः कला संकाय (B.A.) एवं विज्ञान संकाय (B.Sc.) की ही मिलेगी। इसी प्रकार ग्रामीण विज्ञान जो कि कला संकाय से विभाजित हुआ है, में भी कला संकाय (B.A.) की डिग्री मिलेगी।

3.2.5 संकायों में विषयों के वर्गीकरण की यह व्यवस्था मात्र विषय कोडिंग एवं छात्रों को बहुविषयकता उपलब्ध कराने हेतु है। विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो संकाय एवं प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है, वह यथावत् रहेगी। (शासनादेश संख्या–1276/सत्तर–3–2021–16(26)/2011, दिनॉक 16–06–2021)

3.3 विषय (Subject)- यथा

3.3.1. संस्कृत, हिन्दी, जन्तु विज्ञान, इतिहास आदि।

3.3.2. एक विषय एक ही संकाय में सूचीबद्ध होगा।

3.4 कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र (Course/Paper)-

3.4.1 एक विषय के विभिन्न थ्योरी/प्रैक्टिकल के पेपर को कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र कहा जायेगा।

3.4.2 थ्योरी, प्रैक्टिकल और शोध परियोजना के पेपर्स/प्रश्नपत्रों का कोड अलग–अलग होगा।

4. मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर विषय के इलेक्टिव पेपर

4.1 प्रारम्भ में विद्यार्थी का प्रवेश तीन वर्ष की स्नातक डिग्री हेतु होगा। चौथे वर्ष में विद्यार्थी चार वर्ष की स्नातक (मानद), स्नातक (मानद शोध सहित) एवं स्नातक (एप्रेन्टिससिप एम्बेडिड) डिग्री में से किसी एक का चयन कर सकते हैं।

4.2 (अ) विश्वविद्यालय इच्छुक संस्थानों को चार वर्षीय स्नातक (FYUP) की मान्यता/सम्बद्धता नये कोर्स के रुप में नियमानुसार प्रदान कर सकते हैं।

(ब) विश्वविद्यालय इच्छुक संस्थानों के आवेदन करने पर तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय के नियमानुसार चार वर्षीय स्नातक पाठ्यकम (FYUP) में उच्चीकृत कर सकते हैं।

4.3 (अ) विद्यार्थी को प्रवेश के समय बी.ए., बी.एस.सी, बी.कॉम आदि में से किसी एक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम का चयन करना होगा और उसे उस पाठ्यक्रम के दो मुख्य (मेजर) विषयों का चयन करना होगा। इसी पाठ्यक्रम में विद्यार्थी को डिग्री मिलेगी। पाठ्यक्रम के चयनित

विषयों का अध्ययन वह तीन/चार वर्ष (प्रथम से छठे/अष्टम सेमेस्टर) तक कर सकता है। यदि वह किसी वर्ष/वर्षों में विषय परिवर्तित करता है तो उसे बिन्दु 8.8 के अनुसार डिग्री दी जायेगी।

(ब) चार वर्षीय स्नातक (मानद) एवं स्नातक (मानद शोध सहित) डिग्री के लिए चतुर्थ वर्ष में विद्यार्थी उपरोक्त दो मेजर विषयों में से किसी एक विषय (जिसका अध्ययन विद्यार्थी ने अनिवार्य रुप से पूर्व के तीन वर्षों/छः सेमेस्टर में किया है) का चयन करेगा तथा सप्तम व अष्टम् सेमेस्टर्स में भी उसी विषय को पढ़ेगा।

(स) तीन वर्षीय स्नातक के पश्चात विद्यार्थी किसी नये विषय में परास्नातक में प्रवेश ले सकता है (जिसमें Pre-requistie के अनुसार वह अर्ह है), परन्तु एक वर्ष की परास्नातक/चतुर्थ वर्ष की पढ़ाई के बाद उसे कोई डिग्री अथवा डिप्लोमा नहीं मिलेगा। दो वर्ष पूर्ण एवं उत्तीर्ण करने पर ही उसे उस विषय में परास्नातक की डिग्री मिलेगी।

(द) त्रिवर्षीय स्नातक के अध्ययन के पश्चात चार वर्षीय डिग्री के लिए भी विद्यार्थी को उस विषय में परास्नातक में नया प्रवेश लेना होगा जो कि विश्वविद्यालय में प्रचलित प्रवेश प्रक्रिया के अनुरूप परास्नातक की उपलब्ध सीटों पर किया जायेगा।

4.4 विद्यार्थी द्वारा तीसरे गौण (माइनर) विषय का चयन बहुविषयकता के लिए किसी भी अन्य संकाय से विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में सीट उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।

4.5 विद्यार्थी द्वितीय/तृतीय वर्ष में मुख्य विषय परिवर्तित कर सकता है अथवा उनके क्रम में परिवर्तन कर सकता है।

4.6 विद्यार्थी को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय परिवर्तन की सुविधा होगी, परन्तु वह एक वर्ष बाद ही विषय परिवर्तित कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नहीं।

4.7 तीसरे गौण (माइनर) विषय का कोर्स किसी भी विषय का इलेक्टिव पेपर (6 क्रेडिट) होगा, न कि पूर्ण विषय। इस कोर्स के चुनाव में Pre-requisite का ध्यान रखा जाना आवश्यक नहीं है। विश्वविद्यालय अपने स्तर पर यह निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सा कोर्स गौण (माइनर) विषय के रूप में दिया जा सकता है।

4.8 सभी विश्वविद्यालय उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अन्य संकाय/विषय के छात्रों के लिये माइनर इलैक्टिव पेपर (6 क्रेडिट का) तैयार कर सकते हैं। ऐसे माइनर इलैक्टिव कोर्स/पेपर का पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की बोर्ड आफ स्टडीज, विद्वत परिषद् इत्यादि में नियमानुसार अनुमोदित कराया जायेगा। इस प्रकार के इलैक्टिव पेपर की कक्षायें विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में अलग से होगी तथा परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार आयोजित होंगी।

4.9 विश्वविद्यालय माइनर पेपर/स्किल कोर्स के लिये स्वयम् (SWAYAM) पोर्टल एवं अन्य मान्यता प्राप्त आनलाईन संस्थानों की वेबसाइट पर उपलब्ध कोर्स की सूची बनाकर संस्तुत कर सकते हैं। उक्तानुसार संस्तुत कोर्स का अध्ययन विद्यार्थी स्वयम् (SWAYAM) एवं अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों की वेबसाइट से निःशुल्क कर सकते हैं तथा विश्वविद्यालय इन कोर्सो की परीक्षा माइनर पेपर के साथ करायेंगे।

4.10 यदि विद्यार्थी उक्त कोर्सेज को स्वयम् (SWAYAM) अथवा अन्य मान्यता प्राप्त आनलाईन संस्थानों से परीक्षा देकर उत्तीर्ण करता है, तो वह इसका सर्टीफिकेट अपने महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में जमा करेगा। माइनर पेपर्स के लिये अधिकतम 12 क्रेडिट तथा स्किल कोर्स के लिये अधिकतम 9 क्रेडिट मान्य होंगे तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित ग्रेड प्वाइन्ट्स इन्हीं क्रेडिट को दिये जायेंगे तथा SGPA/CGPA की गणना की जायेगी।

4.11 एन0सी0सी0 को शासनादेश संख्या–1815/सत्तर–3–2021–16(26)/2011, दिनांक 09.08.2021 में वर्णित व्यवस्थानुसार माइनर विषय के क्रेडिट प्रदान किये जा सकते हैं।

5. कौशल विकास कोर्स (Vocational /Skill development Courses)

5.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (प्रथम तीन सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट का एक कौशल विकास कोर्स (3x3=9 क्रेडिट के कुल तीन पाठ्यक्रम) करना अनिवार्य होगा।

5.2 उक्त कौशल विकास कोर्स पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या–1969/सत्तर–3–2021, दिनांक 18 अगस्त, 2021 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार संचालित किये जाएं।

5.3 यदि विद्यार्थी यू0जी0सी0/PMKVY 4.0/केन्द्र/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था से तीन या उससे अधिक क्रेडिट का कोई ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन कौशल विकास कोर्स करता है, तो उसे उतने ही क्रेडिट प्रदान कर दिए जायेंगे। स्नातक के लिए कुल 9 क्रेडिट अर्जित करना आवश्यक है। विद्यार्थी अधिकतम् 9 क्रेडिट (एक साथ/अलग–अलग) को कम अथवा अधिक समय में पूरे कर सकते हैं।

6. सह–पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम/कोर्स (Co-Curricular Courses)

6.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (चार सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में दो क्रेडिट का एक सह–पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम/कोर्स करना अनिवार्य होगा अर्थात कुल 8 क्रेडिट (4 कोर्स से) अर्जित करने होंगे।

6.2 इन सह–पाठ्यचर्या पाठ्यक्रमों/कोर्सेज की परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र के माध्यम से करायी जायेगी। इनमें उत्तीर्ण प्रतिशत वहीं होगा जो मुख्य व माइनर विषय के पेपर्स में होगा तथा इनमें प्राप्त ग्रेड्स को सी0जी0पी0ए0 की गणना में सम्मिलित किया जायेगा।

6.3 प्रथम सेमेस्टर में प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (First aid and Basic Health), द्वितीय सेमेस्टर में मानवीय मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन (Human Values and Environment studies), तृतीय सेमेस्टर में शारीरिक शिक्षा एवं योग (Physical Education and Yoga) का अध्ययन किया जायेगा, जिनके पाठ्यक्रम पूर्व से संचालित हैं।

6.4 सभी विश्वविद्यालय चतुर्थ सेमेस्टर में एक भारतीय/स्थानीय भाषा तथा यू0जी0सी0 द्वारा बनाये गये "सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सहभागिता (Social Responsibility and Community Engagement)" पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से चलायेंगे। भारतीय भाषा को मुख्य विषय के रुप में लेने वाले विद्यार्थी "सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सहभागिता पाठ्यक्रम" का अध्ययन करेंगे तथा अन्य विद्यार्थी भारतीय/स्थानीय भाषा का अध्ययन करेंगे, जिसका पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयों द्वारा स्थानीय भाषा के दृष्टिगत तैयार किया जायेगा।

7. शोध परियोजना (Research Project)

7.1 स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष के बाद ग्रीष्मावकाश में विद्यार्थी अपने द्वारा चयनित दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय से संबंधित तीन क्रेडिट की एक शोध परियोजना करेगा। ग्रीष्मावकाश में पूर्ण न कर पाने की स्थिति में यह शोध परियोजना तृतीय वर्ष के पंचम सेमेस्टर में भी की जा सकती है परन्तु उसे द्वितीय वर्ष में उत्तीर्ण तभी माना जायेगा जब उसके द्वारा उक्त शोध परियोजना पूर्ण कर ली जायेगी।

7.2 स्नातक चतुर्थ वर्ष अथवा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के दोनों सेमेस्टर्स में विद्यार्थी चार–चार क्रेडिट के दो कोर्स के स्थान पर एक शोध परियोजना ले सकता है। यह शोध परियोजना एक सप्तम एवं एक अष्टम सेमेस्टर के थ्योरी कोर्स के स्थान पर लेनी होंगी ना कि किसी एक सेमेस्टर के दो

कोर्स के स्थान पर। स्नातक चतुर्थ वर्ष में शोध सहित उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी को स्नातक (मानद शोध सहित) की उपाधि दी जाएगी।

7.3 स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष (उच्च शिक्षा का पंचम वर्ष) में अनिवार्य रूप से एक शोध परियोजना करनी होगी जो कि नवम एवं दशम सेमेस्टर में चार–चार क्रेडिट्स की होगी।

7.4 पी.जी.डी.आर. में चार क्रेडिट की शोध परियोजना का स्वरुप विश्वविद्यालय अपने प्री–पी.एच.डी. कोर्स वर्क के अनुसार निर्धारित करेंगे। स्नातक (मानद शोध सहित) उपाधि प्राप्तकर्ता परास्नातक पूर्ण किये बिना भी पी0एच0डी0 की प्रवेश प्रक्रिया जैसे प्रवेश परीक्षा एवं साक्षात्कार इत्यादि के लिए अर्ह होगा।

7.5 शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाईजर के निर्देशन में पूर्ण की जायेगी। सुपरवाईजर के रुप में एक अन्य विशेषज्ञ को किसी उद्योग/कम्पनी/तकनीकी संस्थान/शोध/शिक्षण संस्थान से लिया जा सकता है।

7.6 यह शोध परियोजना इन्टरडिस्पलनरी/मल्टीडिस्पलनरी भी हो सकती है। यह शोध परियोजना इण्डस्ट्रियल ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप/सर्वे वर्क इत्यादि के रुप में भी हो सकती है।

7.7 विद्यार्थी स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष के पश्चात की गई शोध परियोजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में जमा करेगा।

7.8 स्नातक (मानद शोध सहित)/स्नातकोत्तर स्तर पर विद्यार्थी वर्ष के अंत में दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना की रिपोर्ट/शोध–प्रबन्ध (Report/Dissertaion) अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में जमा करेगा।

7.9 पी.जी.डी.आर. स्तर पर विद्यार्थी प्री–पीएच.डी. कोर्स वर्क के पश्चात की गई शोध परियोजना की रिपोर्ट/शोध–प्रबन्ध (Report/Dissertaion) अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में जमा करेगा।

7.10 बिन्दु 7.1 के अतिरिक्त उपरोक्त सभी स्नातकोत्तर कार्यक्रम शोध परियोजनाओं का मूल्यॉकन सुपरवाईजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रुप से 100 (75 शोध प्रबंध +25 शोध पत्र) अंकों में से किया जायेगा। विद्यार्थी अपनी इस शोध परियोजना में से पेटेन्ट प्रकाशन अथवा शोध पत्र (UGC-CARE listed) अथवा बुक चैप्टर (ISBN) स्नातकोत्तर कार्यक्रम के दौरान प्रकाशित करवायेगा। 25 अंक पेटेन्ट अथवा शोध पत्र (UGC-CARE listed) अथवा बुक चैप्टर (ISBN) पर ही देय होंगे। पेटेन्ट अथवा शोध पत्र (UGC-CARE listed) अथवा बुक चैप्टर (ISBN) न होने पर प्राप्तांक अधिकतम् 75 अंक ही देय होंगे । पूर्णांक अधिकतम 100 ही होंगे। दो राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार/संगोष्ठी में पेपर प्रजेन्ट करने पर भी 25 अंक देय होंगे। पेटेन्ट/शोध पत्र/बुक चैप्टर का प्रकाशन सुपरवाईजर तथा कई विद्यार्थियों द्वारा संयुक्त रुप से कराने पर भी मान्य होगा।

7.11 स्नातक, स्नातक (मानद शोध सहित), स्नातकोत्तर एवं पी.जी.डी.आर. के विद्यार्थियों की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में भी सम्मलित किया जायेगा।

8. क्रेडिट एंव क्रेडिट निर्धारण

8.1 थ्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण कराना होगा।

8.2 प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि कराना होगा। शिक्षक के कार्यभार की गणना में थ्योरी के एक घंटे का कार्यभार

प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के दो घंटे के कार्यभार के बराबर होगा, अर्थात् प्रैक्टिकल के दो घंटे का कार्य एक घंटे का वर्कलोड माना जायेगा।

8.3 क्रेडिट सम्बन्धित समस्त कार्य "ऐकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट" (ABC/ABACUS) के माध्यम से किये जायेंगे, जिसके दिशा–निर्देश पृथक से समय–समय पर जारी किए जाते हैं।

8.4 विद्यार्थी न्यूनतम 40 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टीफिकेट, न्यूनतम 80 क्रेडिट अर्जित करने पर द्विवर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 120 क्रेडिट अर्जित करने पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी न्यूनतम 160 क्रेडिट अर्जित करने पर चार वर्षीय स्नातक (मानद), स्नातक (मानद शोध सहित) अथवा स्नातक (एप्रेन्टिससिप एम्बेडिड) डिग्री, न्यूनतम 200 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतम 216 क्रेडिट अर्जित करने पर पी.जी.डी. आर. की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं।

त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री के पश्चात् विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में संसाधन की उपलब्धता होने पर विद्यार्थी एक वर्ष की 40 क्रेडिट की इंटर्नशिप NATS या समकक्ष/समतुल्य से कर सकता है। यह इंटर्नशिप विद्यार्थी 6 माह के दो अथवा 4 माह के तीन अथवा 3 माह के चार भागों में भी कर सकता है। यह इंटर्नशिप विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के मार्गदर्शन में सहयोगी संस्था/इन्डस्ट्री से की जायेगी। 40 केडिट (1200 घण्टों) की इस इंटर्नशिप के पश्चात् विद्यार्थी को स्नातक (इंटर्नशिप/एप्रेन्टिससिप सहित) की उपाधि दी जायेगी।

8.5 एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात विद्यार्थी उन पेपर के क्रेडिट का उपयोग पुनः नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिये यदि कोई छात्र एक वर्ष के बाद 40 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टीफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जायेंगे । यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है, तो वह या तो अपना मूल सर्टीफिकेट विश्वविद्यालय में जमा (surrender) कर 40 क्रेडिट को खाते में री–क्रेडिट (re-credit) करेगा। यदि विद्यार्थी री–क्रेडिट (re-credit) नहीं करता है तो, नए 40 क्रेडिट पुनः जमा करेगा तथा जिसके आधार पर द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 80 (40+40) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिये भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टीफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 120 क्रेडिट के आधार पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री प्राप्त कर सकता है।

8.6 यदि कोई योग्य छात्र (Fast learner) कम समय में डिग्री के लिये आवश्यक क्रेडिट (ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन) प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर डिग्री दो वर्ष बाद ही मिल जायेगी। इसके लिये विश्वविद्यालय अपने सक्षम विधिक निकायों/समितियों के माध्यम से नियमों को अनुमोदित करायेंगे।

8.7 द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टीफिकेट की श्रेणी में आयेंगे, न कि डिप्लोमा क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिये उसे उसी विषय के लिए आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।

8.8 तीन वर्ष में विद्यार्थी जिस संकाय के दो मुख्य विषयों में न्यूनतम् 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करेगा, उसी संकाय में उसे डिग्री दी जायेगी और विश्वविद्यालय नियमानुसार स्नातकोत्तर में प्रवेश की सुविधा होगी।

जैसे यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में, दो मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम् 60 प्रतिशत क्रेडिट (88 का 60 प्रतिशत अर्थात 53 क्रेडिट) प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर आफ लिबरल ऐजूकेशन की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के प्रीरिक्वजाइट (prerequisite) की आवश्यकता नहीं होगी।

8.9 यदि कोई योग्य छात्र सर्टीफिकेट/डिप्लोमा ले कर अपने क्रेडिट री–क्रेडिट (re-credit) कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह री–क्रेडिट किये गये क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टीफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।

8.10 विद्यार्थी निकास के समय आवश्यक कुल क्रेडिट के अधिकतम 40 प्रतिशत तक (As per UGC/NEP guidlines) क्रेडिट आनलाइन शिक्षा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

9. उपस्थिति व क्रेडिट निर्धारण

9.1 क्रेडिट वैलीडेशन के लिये परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे।

9.2 परीक्षा देने के लिये पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।

9.3 यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिये अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता, तो वह आगामी समय में अर्हित परीक्षा दे सकता है। उसे पुनः कक्षायें लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

10. प्रवेश नियमावली एवं प्रक्रिया तथा समय–सारणी (Time table)

10.1 विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी उच्च शिक्षण संस्थान/महाविद्यालय प्रवेश आरम्भ होने से पूर्व ही अपनी समय–सारणी (Time table) तैयार कर लें, जिससे विद्यार्थी प्रवेश के समय अन्य संकाय के उन विषयों का चयन कर सकें जिनकी कक्षायें अलग समय पर संचालित होती हों ताकि उनकी कक्षाओं के समय में ओवरलैपिंग न हो।

10.2 सभी शिक्षण संस्थान इस प्रकार से समय–सारणी (Time table) तैयार करें जिससे कि विद्यार्थियों को अन्य संकाय के विषयों के चयन के अधिकतम विकल्प उपलब्ध हो सकें।

11. ग्रेडिंग प्रणाली

11.1 शासनादेश संख्या–1032/सत्तर–3–2022–08(35)/2020, दिनांक 20 अप्रैल, 2022 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार स्नातक स्तर पर ग्रेडिंग प्रणाली को संचालित किया जाय।

11.2 स्नातकोत्तर स्तर पर विश्वविद्यालय अपने स्तर पर इसी प्रकार की ग्रेडिंग प्रणाली विकसित कर सकते हैं।

12 सतत आंतरिक एवं विश्वविद्यालय द्वारा मूल्यॉकन

12.1 सतत आंतरिक मूल्यॉकन का उद्देश्य केवल आंतरिक परीक्षा नहीं है, अपितु विद्यार्थी का सर्वांगीण मूल्यॉकन करना है। एन0ई0पी0–2020 के अनुसार सभी विद्यार्थियों का सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIE) कराया जाना है, जिसे शिक्षक, शिक्षण कार्य के साथ पूर्ण करेंगे।

12.2 मुख्य व माईनर विषयों के केवल थ्योरी पेपर्स में 25 अंक का सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIE) अनिवार्य होगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा 75 अंको की परीक्षा करायी जायेगी। प्रयोगात्मक, वोकेशनल/स्किल, को–करीकुलर तथा शोध परियोजना के कोर्सेज में सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIE) आवश्यक नहीं है तथा विश्वविद्यालय द्वारा इन कोर्सेज की परीक्षा 100 अंको के आधार पर होगी। वोकेशनल/स्किल कोर्सेज का मूल्यॉकन पूर्व की भॉति शासनादेश संख्या–1969/सत्तर–3–2021, दिनॉक 18.08.2021 के अनुसार किया जायेगा।

12.3 सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIE) के लिए किसी भी प्रकार की केन्द्रीयकृत/विश्वविद्यालय स्तरीय मिड टर्म परीक्षायें आयोजित नहीं की जायेंगी।

12.4 शासनादेश संख्या–2058/सत्तर–3–2021–08(33)/2020टी0सी0, दिनांक 26.08.2021 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIE) प्रोजेक्ट (Project), सेमिनार (Seminar), रोल प्ले (Role play), क्विज (Quiz), पजल (Puzzle), टेस्ट (Test), प्रैक्टिकल (Practical), सर्वे (Survey), बुक रिव्यू (Book review), स्टूडेंट पार्लियामेन्ट (Student parliamen), स्क्रीनप्ले (Screenplay), निबन्ध (Essay), एक्सटेम्पोर (Extempore), एक्जीबिशन (Exhibition), फेयर (

Fair), शैक्षणिक भ्रमण (Visit) आदि के द्वारा किया जा सकता है। सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIE) में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालयों के परीक्षा नियंत्रक नीति निर्धारित करेंगे।

12.5 विद्यार्थी के सतत् आंतरिक मूल्यॉकन के अंक प्रदान करने के लिये पाठ्येत्तर गतिविधियों (Extra-Curricular activities, Study tour, Sports, Outreach activity, Social Service etc) का उपयोग भी किया जा सकता है, जिसके लिये विस्तृत दिशा–निर्देश विश्वविद्यालयों द्वारा अपने स्तर से जारी किये जायेंगे।

Uttar Pradesh NEP-2020 UG-PG course structure aligned with FYUGP of UGC
Table 1: (To be in effect from 2024-25 Session)

{Cummulative Minimum Credits} Required for Award of Certificate/ Diploma/ Degree			Subject I	Subject II	Subject III	Vocational Skill Enhancement Courses (SEC) with Summer Internship	Co-Curricular Ability / Enhancement Courses (AEC)	Research Project / Dissertation/ Internship / Field or survey work	{Minimum Credits} For the year
			Major (core)	Major (core)	Minor Multidisciplinary	Minor	Minor	Major	
			4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	6 Credits	3 Credits	2 Credits	3/4 Credits	
	Year	Sem.	Own Faculty	Own Faculty	Other Faculty	Vocational Skill Enhancement Courses (SEC) with Summer Internship	Co-Curricular Ability / Enhancement Courses (AEC)	Inter/Intra Faculty related to main Subject	
{40} Certificate in Faculty	1	I	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (6)	1 (3)	1 (2)		40
		II	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1 (3)	1 (2)		
{40+40=80} Diploma in Faculty	2	III	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (6)	1 (3)	1 (2)		40
		IV	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)			1 (2)	1 (3) Point 7.1	
{80+40=120} 3-year UG Degree	3	V	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)					40
		VI	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)					
Fourth Year									
*Apprenticeship / Internship embedded UG degree programme	4	12 Months Apprenticeship/ Internship through NATS or from equevelent organization/ Industry/institute				1 (40) 1200 hours			40
OR									
{120+40=160} 4-year UG Degree (Honours)	4	VII	Th-5(4) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						40
		VIII	Th-5(4) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						
OR									
{120+40=160} 4-year UG Degree (Honours with Research)	4	VII	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)		Students who secure 75% marks in the first 6 semesters			1 (4)	40
		VIII	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)					1 (4)	
200 Master in	5	IX	Th-4(4) or Th-3(4)+					1 (4)	40

Faculty			Pract-1(4)						
		X	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)					1 (4)	
{216} PGDR in Subject	6	XI	Th-4(2)	1 (4) Research Methodology				1 (4)	16
Ph.D. in Subject	6,7,8	XII-XVI						Ph. D. Thesis	

*Apprenticeship/Internship embedded degree programme degree holder have to do 2 year PG programme. It is purely optional for Universities, to run and give this degree.

3 year Honors/Single subject programme structure
Table 2: (To be in effect from 2024-25 Session)

{Cummulative Minimum Credits} Required for Award of Certificate/ Diploma/ Degree			Subject I	Subject II	Subject III	Vocational Skill Enhancement Courses (SEC) with Summer Internship	Co-Curricular Ability / Enhancement Courses (AEC)	Research Project / Dissertation / Internship/ Field or survey work	**{Minimum Credits}** For the year
			Major (core)	Major (core)	Minor Multidisciplinary	Minor	Minor	Major	
			4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	6 Credits	3 Credits	2 Credits	3/4/5 Credits	
	Year	Sem.	Own Faculty	Own Faculty	Other Faculty	Vocational Skill Enhancement Courses (SEC) with Summer Internship	Co-Curricular Ability / Enhancement Courses (AEC)	Inter/Intra Faculty related to main Subject	
{40} . Certificate in Faculty	1	I	Th-3(4) or Th-2(4)+ Pract-1(4)		1 (6)	1 (3)	1 (2)		40
		II	Th-3(4) or Th-2(4)+ Pract-1(4)			1 (3)	1 (2)		
{40+40=80} Diploma in Faculty	2	III	Th-3(4) or Th-2(4)+ Pract-1(4)		1 (6)	1 (3)	1 (2)		40
		IV	Th-3(4) or Th-2(4)+ Pract-1(4)				1 (2)	1 (3) Point 7.1	
{80+40=120} 3-year Single Subject Plain UG Degree	3	V	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)					1 (4)	40
		VI	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)					1 (4)	
					or				
{80+50=130} 3-year Single Subject Honours UG Degree		V	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)					1 (5)	50
		VI	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)					1 (5)	

- Single subject 3 years UG programme examples: BBA, BCA, BHM, BSc (Chemistry), BSc, Chemistry (Hnours), Etc.
- After both the above programmes (3 years plain or Honours degree), one has to pursue 4^{th}/ 5^{th} years of UG/ PG programmes as given in the Table 1, in the same manner as the one who completes, 3 years UG degree of Table 1.

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–3
संख्या– 1567/सत्तर–3–2021–16(26)/2011टी.सी.
लखनऊ : दिनांक : 13 जुलाई, 2021

1. **कुलसचिव**
   समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
   उ0प्र0।
2. **निदेशक,**
   उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
   प्रयागराज।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 लागू किए जाने हेतु जारी शासनादेश दिनांक 20.04.2021 के संदर्भ में प्राप्त पृच्छाओं के सम्बन्ध में विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध करायी गई सूची के अनुसार त्रिवर्षीय स्नातक (तीन विषय विकल्प आधारित) स्तर के 62 पाठ्यक्रम तैयार किये जा चुके हैं, जिन्हें ई–मेल द्वारा आपको उपलब्ध करा दिया गया है तथा उ0प्र0राज्य उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाईट (http://uphed.gov.in/Council/NEETI2021.aspx) पर अपलोड किया जा चुका है । स्नातक (शोध सहित) एवं परास्नातक विषयों के पाठयक्रमों की सूची एवं जानकारी कालान्तर में उपलब्ध करा दी जायेगी। यदि उ0प्र0राज्य उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाईट में वर्णित विषयों के अतिरिक्त आपके विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर कोई अन्य विषय संचालित है, तो उसका पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए तीन विषय विशेषज्ञों के नाम गूगल लिंक (https://forms.gle/vPP7c7Av2kUFGJiX9) पर एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराया जाय। यदि कोई विषय एक से अधिक विश्वविद्यालयों में चल रहा हो, तो वह भी सभी विश्वविद्यालयों में न्यूनतम समान पाठयक्रम के अनुरुप ही लागू होगा तथा उन विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए विशेषज्ञों को सम्मिलित करते हुए 'विषय विशेषज्ञ समूह' गठित किया जाएगा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप न्यूनतम समान पाठ्यक्रम तैयार करेंगें। स्नातक स्तर पर तृतीय वर्ष में संचालित मुख्य विषय के किसी पेपर का इलैक्टिव पेपर के रूप में अन्य पाठ्यकम (सिलेबस) का सुझाव विषय विशेषज्ञों से आमंत्रित है वे अपने सुझाव गूगल लिंक (https://forms.gle/vPP7c7Av2kUFGJiX9) पर दे सकते हैं।

2– शासनादेश संख्या 1065/सत्तर–3–2021–16 (26)/2011 दिनॉक 20–04–2021 के तारतम्य में शैक्षणिक सत्र 2021–22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु न्यूनतम समान पाठ्यक्रम एवं "च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम" (CBCS) पर आधारित सेमेस्टर सिस्टम के संबंध में प्राप्त पृच्छाओं के निराकरण हेतु निम्नवत् स्पष्ट किया जाता है:–

1. न्यूनतम समान पाठ्यक्रम(Minimum Common Syllabus)

1.1 विश्वविद्यालय न्यूनतम समान पाठ्यक्रम के रुप में उपलब्ध कराये गये पाठ्यक्रम में से कम से कम 70 प्रतिशत समान रखेंगे। उदाहरण के लिये यदि किसी पेपर हेतु तैयार किए गए न्यूनतम समान पाठ्यक्रम में 100 टॉपिक हैं, तो विश्वविद्यालय उनमें से कम से कम 70 टॉपिक रखेंगे तथा उसके अतिरिक्त 30, 40, 50 या कितने भी टॉपिक विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं के अनुरुप रख सकते हैं।

1.2 पाठ्यक्रम संरचना में एक पेपर के क्रेडिट निर्धारित किए गए हैं; उस पेपर में सम्मिलित टॉपिक्स हेतु कितने–कितने क्रेडिट (व्याख्यानों की संख्या) रखे जाएगे, यह विश्वविद्यालय तय करेगा।

1.3 सूच्य है कि वर्तमान में विश्वविद्यालयों में संचालित तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के अधिकांश विषयों के कन्टेन्ट में 70–80 प्रतिशत तक टॉपिक तीन वर्ष में समान हैं तथा तीन वर्ष के दौरान किसी एक वर्ष में पढाये जा रहे हैं।

2. **क्षेत्र (Scope)-**

2.1 यह व्यवस्था चिकित्सा (Medicine and Dental etc.)एवं तकनीकी शिक्षा (B.Tech, MCA etc.)के अतिरिक्त सभी संकायों के कार्यक्रमों पर लागू होगी।

2.2 विधि (बी0ए0–एल0एल0बी0,बी0एस0सी–एल0एल0बी0, एल0एल0बी0, एल0एल0एम0, इत्यादि), शिक्षक शिक्षा (बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड.,एम.पी.एड., इत्यादि) के लिये व्यवस्था का निर्धारण उनकी नियामक संस्थाओं के एन.ई.पी–2020 के अनुरुप नए पाठ्यक्रम व संरचना के आने पर किया जायेगा।

3. **परिभाषाएं–**

3.1 **पाठ्यक्रम/कार्यक्रम (Programme)**–

एक वर्ष का सर्टिफिकेट, दो वर्ष का डिप्लोमा, तीन वर्ष की स्नातक डिग्री, चार वर्ष की स्नातक (शोध सहित) डिग्री, पॉच वर्ष की स्नातकोत्तर डिग्री तथा शोध उपाधि यथा–बी0ए0, बी0एस0सी0, बी0कॉम, बी0एड0, बी0बी0ए0, बी0एल0ई0, एम0ए0, एम0एस0सी0, एम0कॉम, एल0एल0बी0, पी0एच0डी0 इत्यादि।

3.2 **संकाय (Faculty)-**

3.2.1 संकाय विषयों का समूह है यथा कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय इत्यादि।

3.2.2 विभिन्न विश्वविद्यालय में जो संकाय एवं प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है वह यथावत् रहेगी। संकायों का गठन किस प्रकार किया जाएगा, यह विश्वविद्यालय स्तर पर तय किया जाता है।

3.2.3 छात्रों को बहुविषयकता उपलब्ध कराने के लिये संकायों में विषयों के वर्गीकरण एवं विषय कोडिंग की व्यवस्था शासनादेश संख्या 1267/सत्तर–3–2021–16 (26)/2011 दिनॉक 15–06–2021 के अनुसार होगी । भाषा संकाय एवं ग्रामीण अध्ययन संकाय को बहुविषयकता के लिये अलग संकाय माना जायेगा किन्तु उन्हें डिग्री कला संकाय (B.A.)की मिलेगी ।

3.3 **विषय (Subject)**-यथा

3.3.1 संस्कृत, हिन्दी, जन्तु विज्ञान, इतिहास आदि ।

3.3.2 एक विषय एक ही संकाय में सूचीबद्ध होगा ।

3.4 **कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र (Course/Paper)**- यथा

3.4.1 एक विषय के विभिन्न थ्योरी/प्रैक्टिकल के पेपर को कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र कहा जायेगा।

3.4.2 थ्योरी और प्रैक्टिकल के पेपर्स/प्रश्नपत्रों का कोड अलग–अलग होगा ।

4. **पाठ्यक्रम/कार्यक्रम लागू करने की समय सारणी**

सभी विश्वविद्यालय स्वयं तथा अपने क्षेत्रान्र्तगत आने वाले कालेजों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरुप तैयार न्यूनतम समान पाठ्यक्रम को निम्नानुसार लागू करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें :–

4.1 तीन विषय वाले सभी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों (बी0ए0, बी0एस0सी0 आदि) व बी0कॉम0 में सी0बी0सी0एस0 आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2021–22 से लागू होगा।

4.2 स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में सी0बी0सी0एस0 आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022–23 से लागू होगा।

4.3 बी0ए0/बी0एस0सी0 ऑनर्स तथा एकल विषय स्नातक कार्यक्रमों में सी0बी0सी0एस0 आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022–23 से लागू होगा।

4.4 पी0एच0डी0कार्यक्रम में नवीन व्यवस्था सत्र 2022–23 से लागू होगी ।

5. मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर इलेक्टिव पेपर

5.1 विद्यार्थी को प्रवेश के समय एक संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि) का चुनाव करना होगा और उसे उस संकाय के दो मुख्य (मेजर) विषयों का चुनाव करना होगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (Own Faculty) कहलायेगा जिसका अध्ययन वह तीन वर्ष (प्रथम से छठे सेमेस्टर) तक कर सकता है।

5.2 तीसरे मुख्य (मेजर) विषय का चुनाव विद्यार्थी किसी भी संकाय (अपने संकाय सहित) से कर सकता है।

5.3 विद्यार्थी द्वितीय/तृतीय वर्ष में मुख्य विषय बदल सकता है अथवा उनके क्रम में परिवर्तन कर सकता है ।

5.4 छात्र को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय परिवर्तन की सुविधा होगी, परन्तु वह एक वर्ष के बाद ही विषय परिवर्तित कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नहीं ।

5.5 माइनर इलैक्टिव कोर्स किसी भी विषय का पेपर (4/5/6 क्रेडिट) होगा, न कि पूर्ण विषय।

5.6 माइनर इलैक्टिव पेपर छात्र को किसी भी संकाय (Own faculty or Other faculty)से लेना होगा । इसके लिये किसी भी pre-requisiteकी आवश्यकता नहीं होगी ।

5.7 बहुविषयक्ता (Multidisplinarity)सुनिश्चत करने के लिये स्नातक स्तर पर माइनर इलैक्टिव पेपर सभी छात्रों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा लिए गए तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त) से लेना होगा ।

5.8 **तीसरे मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर इलेक्टिव पेपर का चयन छात्र द्वारा इस प्रकार किया जाएगा कि इनमें से कम से कम एक अनिवार्यतः अपने संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय (Other faculty) से हो ।**

5.9 स्नातकोत्तर स्तर (प्रथम वर्ष) पर माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव अन्य संकाय से करना होगा।

5.10 विद्यार्थी को प्रथम, द्वितीय वर्ष (स्नातक) एवं चतुर्थ वर्ष (स्नातकोत्तर) में माइनर इलैक्टिव विषय (एक माइनर पेपर/प्रति वर्ष) लेना अनिवार्य होगा । विश्वविद्यालय/महाविद्यालय उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर विषय के पेपर को आवंटित कर सकता है। तृतीय, पॉचवें एवं छठवें वर्ष में माइनर इलैक्टिव पेपर अनिवार्य नहीं होगा।

5.11 विद्यार्थी अपनी सुविधा से सम अथवा विषम सेमेस्टर में उपलब्ध माइनर इलैक्टिव पेपर का चुनाव कर सकता है।

5.12 माइनर इलैक्टिव पेपर का चुनाव संस्थान में संचालित विषयों के पेपर में से किया जायेगा । चुने हुए माइनर पेपर की कक्षायें फैक्लटी में संचालित उसी कोर्स की कक्षाओं के साथ ही होंगी तथा उसकी परीक्षा भी उसी के साथ होंगी।

5.13 सभी विषय उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अन्य संकाय के छात्रों के लिये माइनर इलैक्टिव पेपर (4 केडिट का) तैयार कर सकते हैं। ऐसे माइनर इलैक्टिव कोर्स/पेपर का पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की बोर्ड आफ स्टडीज, विद्वत परिषद इत्यादि में नियमानुसार अनुमोदित कराया जायेगा। इस प्रकार के इलैक्टिव पेपर की कक्षायें विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में अलग से होगीं एवं परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार आयोजित होंगी।

6. कौशल विकास कोर्स (Vocational/ Skill development Courses)

6.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षो (चार सेमेस्टरर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट का एक कौशल विकास कोर्स (3x4=12क्रेडिट के कुल चार पाठ्यक्रम) करना होगा।

7. **सह–विषय/कोर्स** (Co-Curricular Courses)

7.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्षो (छः सेमेस्टरर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में एक सह–विषय/कोर्स करना अनिवार्य होगा ।

7.2 इन छः सह–विषयों के पाठ्यक्रम उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर उपलब्ध हैं।

7.3 हर सह–विषय/कोर्स को 40 प्रतिशत अंको के साथ विद्यार्थी को उत्तीर्ण करना होगा । विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर इनके प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में सम्मलित नहीं किया जायेगा ।

8. **शोध परियोजना** (Research Project)

8.1 स्नातक/स्नातकोत्तर/पी.जी.डी.आर. स्तर पर विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर (पांचवें से ग्यारवें सेमेस्टर तक) में शोध परियोजना करनी होगी । विद्यार्थी को तीसरे वर्ष में लघु शोध परियोजना तथा चतुर्थ व पंचम वर्ष में वृह्द शोध परियोजना करनी होगी । पी.जी. डी.आर में शोध परियोजना का स्वरुप विश्वविद्यालय अपने प्री–पी.एच.डी. कोर्स वर्क के अनुसार निर्धारित करेगा।

8.2 विद्यार्थी द्वारा चुने गये तीसरे वर्ष के दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय एवं चतुर्थ, पंचम, षष्टम वर्ष के मुख्य विषय से सम्बंधित शोध परियोजना करनी होगी। यह शोध परियोजना interdisciplinary भी हो सकती है । यह शोध परियोजना इन्डसट्रियल ट्रेनिंग/इर्न्टरनशिप/ सर्वे वर्क इत्यादि के रुप में भी हो सकती है ।

8.3 शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाईजर के निर्देशन में की जायेगी, एक अन्य को–सुपरवाईजर किसी उद्योग/कम्पनी/तकनीकि संस्थान/शोध संस्थान से लिया जा सकता है ।

8.4 विद्यार्थी वर्ष के अंत में दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना का संयुक्त प्रवंध (Report/Dissertaion) जमा करेगा, जिसका मूल्यॉकन वर्ष के अंत में सुपरवाईजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रुप से 100 अंकों में से किया जायेगा।

8.5 स्नातक स्तर एवं पी.जी.डी.आर. के विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे परन्तु उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में सम्मलित नहीं किया जायेगा।

8.6 स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर के विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर में चार क्रेडिट की शोध परियोजना करनी होगी। शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में भी सम्मलित किया जायेगा।

9. **क्रेडिट एंव क्रेडिट निर्धारण**

9.1 थ्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण कराना होगा।

9.2 प्रैक्टिकल/इर्न्टनशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रैक्टिकल/इर्न्टनशिप/फील्ड वर्क आदि कराना होगा। शिक्षक के कार्यभार की गणना में थ्योरी के एक घंटे का कार्यभार प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के दो घंटे के कार्यभार के बराबर होगा।

9.3 क्रेडिट सम्बन्धित समस्त कार्य राज्य स्तरीय "ऐकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट" के माध्यम से किये जायेंगे, जिसके दिशा–निर्देश अलग से जारी किये जायेंगे।

9.4 विद्यार्थी न्यूनतम 46 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टीफिकेट, न्यूनतम 92 क्रेडिट अर्जित करने पर द्विवर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करने पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है । इससे आगे विद्यार्थी न्यूनतम 184 क्रेडिट

अर्जित करने पर चर्तुवर्षीय स्नातक (शोध सहित) डिग्री, न्यूनतम 232 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातंकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतम 248 क्रेडिट अर्जित करने पर पी.जी.डी.आर. ले सकता है ।

एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात विद्यार्थी उन पेपर के क्रेडिट का उपयोग पुनः नहीं कर सकेगा । उदाहरण के लिये यदि कोई छात्र एक वर्ष के बाद 46 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टीफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जायेंगे । यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है, तो वह या तो अपना मूल सर्टीफिकेट विश्वविद्यालय में जमा (surrender) कर 46 क्रेडिट को खाते में री–क्रेडिट (re-credit) करेगा अथवा नए 46 क्रेडिट पुनः जमा करेगा तथा जिसके आधार पर द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 92 (46+46)क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है । इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिये भी होगी । यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टीफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 132 क्रेडिट के आधार पर डिग्री ले सकता है।

9.5 यदि कोई योग्य छात्र (Fast learner)कम समय में डिग्री के लिये आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर अंतराल की सुविधा होगी, परन्तु डिग्री तीन वर्ष बाद ही मिलेगी। अंतराल के दौरान वह किसी भी कार्य को करने के लिये स्वतंत्र होगा ।

9.6 द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टीफिकेट की श्रेणी में आयेंगे, न कि डिप्लोमा क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिये उसे उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे ।

9.7 तीन वर्ष में विद्यार्थी तीन मुख्य विषयों के कुल केडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत केडिट जिस संकाय में प्राप्त करेगा, उसी संकाय में उसे डिग्री दी जायेगी।

9.8 यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में, तीन मुख्य विषयों के कुल केडिट का न्यूनतम् 60 प्रतिशत क्रेडिट (112 का 60 प्रतिशत अर्थात 67 क्रेडिट)प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर आफ लिबरल ऐजूकेशन (B.L.Ed.)की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के प्रीरिक्वजाइट (prerequisite)की आवश्यकता नहीं होगी।

9.9 यदि कोई योग्य छात्र सर्टीफिकेट/डिप्लोमा ले कर अपने क्रेडिट री–क्रेडिट (re-credit)कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह री–क्रेडिट किये गये क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टीफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है ।

10. <u>उपस्थिति व क्रेडिट निर्धारण</u>

10.1 क्रेडिट वेलीडेशन के लिये परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे ।

10.2 परीक्षा देने के लिये पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी ।

10.3 यदि कोई छात्र कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिये अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता, तो वह आगामी समय में अर्हित परीक्षा दे सकता है । उसे पुनः कक्षायें लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

11. <u>प्रवेश नियमावली एवं प्रक्रिया तथा समय–सारणी (Time table)</u>

11.1 विश्वविद्यालय सभी शिक्षण संस्थानों हेतु प्रवेश नियमावली तथा प्रक्रिया शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों के अनुरुप एक माह के भीतर तैयार करना सुनिश्चित करें जिससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का समयान्तर्गत सत्र 2021–22 से क्रियान्वयन किया जा सके।

11.2 विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करें कि सभी शिक्षण संस्थान प्रवेश प्रारम्भ होने से पूर्व अपनी समय–सारणी (Time table) तैयार कर लें, जिससे छात्र प्रवेश के समय अन्य

संकाय के उन विषयों का चुनाव कर सकें जिनकी कक्षायें अलग समय पर संचालित होतीं हों तथा उनकी कक्षाओं के समय में ओवरलैपिंग न हो ।

11.3 सभी शिक्षण संस्थान समय–सारणी (Time table) ऐसे तैयार करें कि छात्रों को अन्य संकाय के विषयों को चुनने के अधिकतम विकल्प उपलब्ध हों ।

3– विश्वविद्यालयों से अपेक्षा है कि कृपया शासनादेश सं0 1065/सत्तर–3–2021–16(26)/2011 दिनांक 20.04.2021 के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2021–22 से "च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम" (CBCS) पर आधारित सेमेस्टर सिस्टम एवं न्यूनतम समान पाठयक्रम को लागू करना सुनिश्चित करें, ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के उद्देश्यों के अनुरुप प्रदेश स्थित विश्वविद्यालयों के मध्य अकादमिक क्रेडिट ट्रांसफर सम्भव हो सके।

संलग्नक–यथोक्त।

(मोनिका एस.गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–1567 (1)/सत्तर–3–2021, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कुलपति, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।

2– अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।

आज्ञा से

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

14. स्नातक व स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की वर्षवार संरचना

		Subject I	Subject II	Subject III	Subject IV	Vocational	Co-Curricular	Industrial Training/ Survey/ Research Project	{Minimum Credits} For the year	{Cummulative Minimum Credits} Required for Award of Certificate/ Diploma/ Degree
		Major	Major	Major	Minor Elective	Minor	Minor	Major		
		4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	3 Credits		4 Credits		
Year	Sem.	Own Faculty	Own Faculty	Own/ Other Faculty	OtherSubject/ Faculty	Vocational/ Skill Development Course	Co-CurricularCourse (Qualifying)	Inter/Intra Faculty related to main Subject		
1	I	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (4/5/6)	1	1		46	{46} Certificate in Faculty
	II	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1	1			
2	III	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (4/5/6)	1	1		46	{92} Diploma in Faculty
	IV	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1	1			
3	V	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)				1	1 (Qualifying)	40	{132} Bachelor in Faculty
	VI	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)				1	1 (Qualifying)		
4	VII	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)			1 (4/5/6)			1 (4)	52	{184} Bachelor (Research) in Faculty
	VIII	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1 (4)		
5	IX	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1 (4)	48	{232} Master in Faculty
	X	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1 (4)		
6	XI	2 (6)	1 Research (4)Methodology					1 (Qualifying)	16	{248} PGDR in Subject
6,7,8	XII-XVI						–	Ph. D. Thesis		Ph.D. in Subject

Note: Blue Colour: No. of papers Red colour: Credits Purple colour: Non-Credit Qualifying Courses; Th-Theory, Pract-Practical